

उत्तर प्रदेश

के

आय-व्ययक का

आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

1982-83



NIEPA DC



D00991

अथ एवं संख्या प्रभाग

राज्य नियोजन संस्थान

उत्तर प्रदेश

- 542  
352.1252  
UTT - U

Sub. National Systems Unit,  
National Council of Educational  
Planning and Administration  
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016  
DCC. No. D-971.....  
Date..... 22/2/84.....

## प्राक्कथन

राज्य सरकार के आय-व्ययक में दी गयी प्राप्तियों एवं संवितरणों का प्रदेश के उत्पादन एवं आय पर प्रभाव के अलग-अलग अध्ययन करने के उद्देश्य से अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष आय-व्ययक के समस्त लेन-देनों को आर्थिक एवं प्रयोजनात्मक दृष्टिकोंग से पुनः वर्गीकृत एवं समूहीकृत करके एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य वर्ष 1965-66 से किया जा रहा है। वर्तमान संस्करण में वर्ष 1982-83 से सम्बन्धित राज्य सरकार के आय-व्ययक के आर्थिक एवं कार्य संबंधी वर्गीकरण के अन्तर्गत परिणामों को 6 प्रमुख लेखाग्रो एवं सारिणियों में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को ग्राफ एवं चार्ट द्वारा भी दर्शाने का प्रयास किया गया है।

2—आय-व्ययक के लेन-देनों के वर्गीकरण, समूहीकरण एवं सारणीयन के इस बृहत कार्य को ससमय पूर्ण करके इस प्रकाशन को प्रकाशित कराने में सर्वश्री गणेश सिंह श्रीवास्तव, ताराचन्द्र पाठक एवं जीवानन्द तिवारी सहायक संख्याधिकारी द्वारा किये गये परिश्रम की मैं प्रशंसा करता हूं। मैं श्री बी० डी० कनौजिया, उप निदेशक तथा श्री एस० पी० श्रीवास्तव, संख्याधिकारी के महत्वपूर्ण योगदान के लिये भी आभारी हूं जिनकी देख-रेख एवं मार्ग-दर्शन में यह कार्य सम्पादित किया गया है।

3—मुझे पूर्ण आशा है कि प्रकाशन में दिये गये वित्तीय लेन-देनों के प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर आर्थिक विश्लेषण एवं नीति निर्धारण में यह प्रकाशन नीति निर्धारकों, योजना निर्माताओं, अर्थ शास्त्रियों एवं प्रशासकों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

लखनऊ : जुलाई 28, 1982।

अनन्द स्वरूप,  
आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक।

## विषय-सूची

### भाग—1—आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय	पृष्ठ-संख्या
1—भूमिका .. .. .	1
2—लेखा विवरण .. .. .	3
3—सामन्जस्य .. .. .	13
4—कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष .. .. .	17
5—लेखाओं पर टिप्पणी .. .. .	23

### भाग—2—कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

6—(1) आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण .. .. .	27
(2) कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण के सिद्धांत .. .. .	27
(3) सारणियां .. .. .	27
7—कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी .. .. .	39



## भाग—1

### आर्थिक वर्गीकरण

#### अध्याय—1

##### भूमिका

1.1—आय-व्ययक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय अभिलेख है जिसमें सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इसमें प्रदेश सरकार के समस्त वित्तीय लेन-देनों का पूर्ण विवरण प्रत्येक वर्ष "आय-व्ययक स्मृति-पत्र" और "व्योरेवार अनुमान एवं अनुदान" में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें क्रमागत तीन वर्षों—गत-वर्ष के वास्तविक, चालू वर्ष के पुनरीक्षित तथा आय-व्ययक वर्ष के अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण दिया जाता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्रावधानों एवं वैधानिक नियंत्रण का आवश्यकता के अनुसार समस्त प्राप्ति एवं सवितरणों का वणन निर्धारित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत रहता है। इस प्रकार आय-व्ययक केवल वैधानिक नियंत्रण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन-देनों के लेखा सम्परीक्षा सम्बन्धी एक सीमित उद्देश्य को पूर्ति करता है।

1.2—पंचवर्षीय योजनाओं में इन वित्तीय आंकड़ों के प्रयोग का महत्त्व बढ़ने के साथ यद्यपि आय-व्ययक संबंधी आंकड़ों एवं तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के विविध विधात में काफी परिवर्तन एवं सुधार किये गये हैं। फिर भी आय-व्ययक में दिये गये आंकड़ों को वर्तमान प्रणाली से विभिन्न लेन-देनों के आर्थिक प्रभाव का सरलता से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। उदाहरणार्थ आय-व्ययक संबंधी संसाधनां स पूजा निर्माण, राज्य सरकार की बचत, सरकार द्वारा राज्य आय में अंशदान, राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देनों से घाटे के परिणाम का ज्ञान राज्य के आय-व्ययक से नहीं हो पाता है। इसी प्रकार कुछ विभागों द्वारा चलाये गये वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यवाहक व्यय से उत्पादन की लागत का बाध तो होता है किन्तु "अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं" पर किये गये व्यय का काइ-संकेत नहीं मिलता है। अतः इसे राज्य सरकार के कुल व्यय में शामिल नहीं होना चाहिये।

1.3—राज्य सरकार के आय-व्ययक में प्रस्तावित व्यय की मदों को मुख्यतः चालू खपत संबंधी व्यय, पूजा निर्माण और वित्तीय निवेश आदि के रूप में बांटा जाता है। आय-व्ययक से इस बात का ज्ञान सुगमता से नहीं हो पाता है कि कौनों विशेष प्रयोजन के अन्तर्गत चालू खपत संबंधी व्यय तथा पूजा अथवा व्यवस्था सम्बन्धी व्यय पृथक-पृथक कितना है। उदाहरण के लिये खपत संबंधी व्यय में प्रशासनिक व्यय के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था भी सम्मिलित रहती हैं, जिसका विकास में उतना ही योगदान है जितना वस्तुगत पूजा निर्माण का होता है। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में राजकीय व्यय का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अतः राजकीय लेन-देनों का अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव एवं शेष अर्थ-व्यवस्था के शेष खर्चों से उपलब्ध तदसम्बन्धी प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हो गया है। शेष अर्थ-व्यवस्था से तात्पर्य राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं जैसे केंद्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, निजी वाणिज्यिक निगमों, कम्पनियों और व्यक्तियों से है। इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति हेतु राज्य सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण किया गया है। आर्थिक वर्गीकरण में समस्त सरकारी व्योरेवार व्यय को पृथक करके उनका अर्थ-पूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूजा निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है जबकि कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में इन व्ययों को सम्बन्धित प्रयोजनों जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक सेवाओं आदि के अन्तर्गत बांटेकर दिखाया गया है।

1.4—उत्तर प्रदेश सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देनों के आर्थिक प्रभाव को सुगमतापूर्वक समझने के उद्देश्य से आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण सर्व प्रथम वर्ष 1965-66 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्ष 1966-67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण भी आरम्भ किया गया। केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग, केंद्रीय सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957-58 से तथा आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 1967-68 से कर रहा है।

1.5—इस प्रकाशन में अध्ययन का विषय क्षेत्र वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक के समान ही है अर्थात् इसमें वर्ष 1982-83 के लिये आय-व्ययक में दिये गये वर्ष 1980-81 के वास्तविक व्यय, 1981-82 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक अनुमानों के विभिन्न मदों को पुनः वर्गीकृत एवं समूहीकृत करके उनका विश्लेषण किया गया और उन्हें आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ कार्यात्मक वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

1.6—राज्य सरकार के समस्त लेन-देनों को वर्गीकृत एवं समूहीकृत करने हेतु केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रीति विधान को अपनाया गया है और भारत सरकार द्वारा गठित क्षेत्रीय लेखा समिति की अन्तिम रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों के आधार पर इसे संशोधित भी किया गया है। इस प्रकार वर्गीकरण हेतु अपनायी गयी प्रणाली के अनुसार एक और चालू लेन-देन को पूंजीगत लेन-देन से पृथक किया गया है तथा दूसरी ओर "वस्तुओं एवं सेवाओं" में लेन-देन को अन्तरणों से पृथक कर दिया गया है। इसी प्रकार राजकीय प्रशासन के चालू लेन-देन विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को चालू लेन-देन से पृथक कर दिया गया है क्योंकि राजकीय प्रशासन के "वस्तुओं और सेवाओं" पर चालू व्यय अन्तिम परिव्यय है जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू व्यय अन्तर्वर्ती व्यय है जैसे कच्चा माल, ईंधन इत्यादि के मूल्य। इसी प्रकार शुद्ध वित्तीय लेन-देन को "वस्तुओं और सेवाओं" में लेन-देन एवं अन्तरणों से पृथक कर दिया गया है।

1. 7—राज्य सरकार के धाय-व्ययक संबंधी समस्त लेन-देनो को निम्न 6 प्रमुख लेखाओं में पुनर्गठित किया गया है। प्रत्येक लेखा के दो पक्ष हैं धाय पक्ष तथा व्यय पक्ष :—

लेखा 1—वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण	सरकारी प्रशासन का चालू खाता।
लेखा 2—वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण	विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता।
लेखा 3—वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण	सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।
लेखा 4—वित्तीय परिसम्पत्ति में परिवर्तन	सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।
लेखा 5—वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन	सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।
लेखा 6—सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता।	

## उत्तर प्रदेश

लेखा—

## वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

व्यय	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
व्यय—			
1—मजदूरी और वेतन	31,46	37,36	41,15
2—वस्तुयें और सेवायें	14,10	14,68	16,41
3—मरम्मत और अनुरक्षण	41,41	36,36	39,17
4—ब्याज	68,21	69,65	74,94
5—अवमूल्यन के लिए व्यवस्था ..	6,81	8,33	9,61
6—अहीत लाभ	—	1	1
7—सरकारी प्रशासन के चालू खाते में अन्तरित लाभ	34,26	29,75	30,12
8—योग	1,96,25	1,96,14	2,11,41



## सरकार

4

सरकारी प्रशासन का चालू खाता

( लाख रुपयों में )

राजस्व	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
5	6	7	8
5--कर-राजस्व .. .. .	12,54,37	14,28,21	15,21,72
5.1--प्रत्यक्षकर .. .. .	1,55,88	1,56,08	1,66,73
(क) केन्द्रीय करों से राज्य का हिस्सा .. .. .	1,54,46	1,55,52	1,66,17
(ख) राज्य कर .. .. .	1,42	56	56
5.2--अप्रत्यक्षकर .. .. .	10,98,49	12,72,13	13,54,99
(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा .. .. .	4,80,35	5,57,90	5,98,35
(ख) राज्य कर .. .. .	6,18,14	7,14,23	7,56,64
6--उद्यमों और संपत्ति से आय-- .. .. .	76,87	93,39	96,96
6.1--विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से लाभ .. .. .	34,26	29,75	30,12
6.2--विनियोग से आय .. .. .	14	1,21	1,42
6.3--राज्य विद्युत् परिषद् से व्याज की प्राप्तियां .. .. .	..	..	..
6.4--व्याज की प्राप्तियां .. .. .	13,66	19,00	29,12
6.5--संपत्तियों से अन्य आय .. .. .	28,81	43,43	36,30
7--परिवारों से अन्तरण .. .. .	37,68	33,24	67,81
8--राजस्व अनुदान--अंशदान एवं शेष अर्थ-व्यवस्था में वसूलियां .. .. .	2,38,49	2,23,87	2,37,45
9--योग .. .. .	16,07,41	17,78,71	19,23,94

## उत्तर प्रदेश

लेखा—

## वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

व्यय	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1--खपत संबंधी व्यय--	6,98,11	7,05,74	9,37,71
1.1--कर्मचारियों को प्रतिकर	4,23,08	4,95,04	7,14,76
(क) मजदूरी और वेतन	3,98,97	4,61,04	6,65,66
(ख) पेन्शन	24,11	34,00	49,10
1.2--शुद्ध वस्तुओं और सेवाओं का क्रय*	2,75,03	2,10,70	2,22,95
(क) वस्तुओं और सेवाओं का क्रय	2,93,60	2,30,79	2,45,92
(ख) घटाइए--वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय	18,57	20,09	22,97
2--अन्तरण अदायगियां--	6,63,87	7,08,79	7,76,47
2.1--व्याज	84,72	1,23,83	1,44,82
2.2--अनुदान--	3,50,88	3,81,76	4,05,33
(क) स्थानीय निकायों को	18,94	14,68	14,65
(ख) सहकारी संस्थाओं को	3,03	2,62	2,83
(ग) शिक्षा संस्थाओं को	2,88,52	3,25,34	3,45,99
(ख) अन्य संस्थाओं को	40,39	39,12	41,86
2.3--राज्य सहायता**	1,62,90	1,52,88	1,74,44
2.4--अन्य चालू अन्तरण	65,37	50,32	51,88
3--चालू खाते में बचत	2,45,43	3,64,18	2,09,76
4--योग	16,07,41	17,78,71	19,23,94

\* वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः रु 89 लाख, रु 124 लाख और रु 121 लाख के बराबर मानकर प्रशासन के खपत सम्बन्धी व्यय में शामिल कर लिया गया है।

\*\* वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में सिंचाई तथा दुग्ध सम्पत्ति प्रतिष्ठानों की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः रु 1,04,44 लाख, रु 94,86 लाख और रु 99,93 लाख राज्य सहायता मानकर सम्मिलित कर लिया गया है।

## अध्याय—2

### लेखा विवरण

2.1—आय-व्ययक संबंधी लेन-देन का पुनर्वर्गीकरण तथा पुनः समूहीकरण करके जिन 6 लेखाओं को प्रस्तुत किया गया है, उन्हें देखने से स्पष्ट है कि लेखा-1 से 3 सरकार के वस्तुओं एवं सेवाओं तथा अन्तरणों के लेन-देन से संबंधित है। लेखा-1 के व्यय पक्ष में सरकार के खपत संबंधी व्यय तथा चालू अन्तरण का ब्योरा दिया जाता है, जिसमें खपत संबंधी व्यय के अन्तर्गत मजदूरी व वेतन एवं पेन्शन तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय को अलग-अलग दर्शाया जाता है। इस लेखा के आय पक्ष में सरकार के प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उद्यमों एवं संपत्तियों से आय, परिवारों से अन्तरण तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का ब्योरा दिया जाता है। लेखा-2 में राज्य सरकार के विभागीय या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे वन, सिंचाई, दुग्ध विकास, राजकीय मुद्रणालय तथा उद्योग द्वारा उत्पादन व्यय एवं प्राप्ति का ब्योरा दिया जाता है। लेखा-3 में विभिन्न मदानुसार सरकारी प्रशासन व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पूंजी व्यय तथा पूंजी अन्तरण का विवरण दिया गया है।

2.2—लेखा-4 से 6 तक सरकार के समस्त वित्तीय लेने देनों का ब्योरा दिया जाता है जो शेष अर्थ-व्यवस्था पर सरकार के शुद्ध वित्तीय दायित्व को दर्शाता है। लेखा-4 में वित्तीय परिसंपत्तियों में शुद्ध वृद्धि सम्बन्धी समस्त लेन-देनों को वर्गीकृत किया जाता है जिनमें अंशकों में निवेश, पूंजी निर्माण हेतु ऋण एवं अग्रिम, चालू खपत हेतु ऋण एवं अग्रिम आदि सम्मिलित है। लेखा-5 सरकार के वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है जिसमें सार्वजनिक ऋण निक्षेप तथा विप्रेषण सम्मिलित किया जाता है। लेखा-6 सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी का समाधान खाता है। यह खाता लेखा-3, 4, 5 की शुद्ध स्थिति के समावेश करते हुए राज्य सरकार के रोकड़ स्थिति से संबंधित समस्त लेन-देनों के प्रभाव को दर्शाता है।

2.3—उपरोक्त 6 लेखे आगे के पृष्ठों पर दिये गये हैं।

सरकार

2

विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

(लाख रुपयों में)

राजस्व	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	प्राय-व्ययक अनुमान 1982-83
5	6	7	8
9--विक्रय से आय--	1,94,10	1,93,50	2,08,25
(क) वन .. .. .	49,13	46,86	48,67
(ख) सिंचाई* .. .. .	1,41,00	1,42,31	1,55,02
(ग) दुग्ध सम्पूर्ति .. .. .	50	62	63
(घ) राजकीय मुद्रणालय** .. .. .	3,35	3,56	3,75
(ङ) उद्योग .. .. .	12	15	18
10--अवमूल्यन रक्षित निधि पर ब्याज .. .. .	2,15	2,64	3,16
11--योग .. .. .	1,96,25	1,96,14	2,11,41

\*सिंचाई प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः ₹0 10395 लाख, ₹0 94,24 लाख और ₹0 9930 लाख सम्मिलित है।

\*\*राजकीय मुद्रणालय द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में उठाई गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः ₹0 89 लाख, ₹0 12.4 लाख और ₹0 1,21 लाख सम्मिलित है।

†दुग्ध सम्पूर्ति द्वारा वर्ष 1980-81 1981-82 तथा 1982-83 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः ₹0 49 लाख, ₹0 62 लाख और ₹0 63 लाख सम्मिलित है।

उत्तर प्रदेश  
लेखा—

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण—

संवित्तरण	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1—सकल पूंजी निर्माण .. .. .	5,16,86	3,64,92	4,02,35
(अ) सरकारी प्रशासन द्वारा .. .. .	2,66,59	1,06,18	1,89,12
1. 1—भवन तथा अन्य निर्माण .. .. .	1,68,32	2,33,83	2,80,19
(क) भवन निर्माण .. .. .	71,15	40,83	54,18
(1) नया परिव्यय .. .. .	71,10	40,76	53,48
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन .. .. .	5	7	70
(ख) अन्य निर्माण .. .. .	97,17	1,93,00	2,26,01
(1) नया परिव्यय .. .. .	84,70	1,81,94	2,13,87
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन .. .. .	12,47	11,06	12,14
1. 2—मशीन एवं उपकरण .. .. .	13,25	12,81	16,56
(1) नया परिव्यय .. .. .	13,25	12,81	16,56
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन .. .. .	..	..	..
1. 3—तालिकागत सामान में वृद्धि .. .. .	85,02	(-) 1,40,46	(-) 1,07,63
(1) निर्माण संबंधी सामान .. .. .	32,03	7,65	5,36
(2) अन्न, उर्वरक आदि का भण्डार .. .. .	52,99	(-) 1,48,11	(-) 1,12,99
(ब) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा .. .. .	2,50,27	2,58,74	2,13,23
1. 4—भवन तथा अन्य निर्माण .. .. .	2,46,94	2,49,70	2,04,42
(क) भवन निर्माण .. .. .	1,05	150	1,24
(1) नया परिव्यय .. .. .	1,05	150	1,24
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन .. .. .	..	..	..
(ख) अन्य निर्माण .. .. .	2,45,89	2,48,20	2,03,18
(1) नया परिव्यय .. .. .	2,45,89	2,48,20	2,03,18
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन .. .. .	..	..	..
1. 5—मशीन एवं उपकरण .. .. .	4,88	8,42	8,20
(1) नया परिव्यय .. .. .	2,15	5,26	4,76
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन .. .. .	2,73	3,16	3,44
1. 6—तालिकागत सामान में शुद्ध वृद्धि .. .. .	(-) 1,55	62	61
2—पूंजी अन्तरण— .. .. .	1,15,55	1,11,81	88,88
2. 1—पूंजी अनुदान स्थानीय निकायों को .. .. .	23,08	18,96	13,33
2. 2—पूंजी अनुदान अन्य को .. .. .	92,11	91,85	74,55
2. 3—जमींदारों और जागीरदारों आदि को प्रतिकर .. .. .	36	1,00	1,00
3—योग .. .. .	6,32,41	4,76,73	4,91,23

## प्रकार

3

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

प्राप्तियां	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	घाय-व्ययक अनुमान 1982-83
5	6	7	8
प्राप्तियां			
4—सकल बचत .. .. .	2,52,24	3,72,52	2,19,38
4.1—सरकारी प्रशासन के चालू खाते में बचत ..	2,45,43	3,64,18	2,09,76
4.2—विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से भ्रवमूल्यन के लिये व्यय	6,81	8,33	9,61
4.3—विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का ग्रहीत लाभ ..	..	1	1
5—पूंजी अन्तरण .. .. .	1,44,95	1,64,10	1,68,72
5.1—सम्पदा शुल्क .. .. .	50	69	69
5.2—संघीय सरकार तथा अन्य राज्यों से पूंजीगत अनुदान, अंशदान और प्राप्तियां ।	1,44,45	1,63,41	1,68,03
6—वस्तुओं और सेवाओं से सम्पूर्ण लेन-देन और अन्तरणों में शेष ..	2,35,22	(- )59,89	1,03,13
7—योग .. .. .	6,32,41	4,76,73	4,91,23

## उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा--4

वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपये)

मद	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
<b>क--व्यय</b>			
1--निवेश .. .. .	50,13	1,63,41	1,56,86
1.1--राजकीय उपक्रमों में .. .. .	49,14	1,58,80	1,55,11
1.2--अन्य वाणिज्यिक उपक्रमों में .. .. .	99	4,61	1,75
2--ऋण एवं अग्रिम .. .. .	2,93,28	3,65,95	3,34,57
2.1--पूंजी निर्माण हेतु .. .. .	2,81,47	3,61,34	3,29,79
(क) सहकारिता को .. .. .	32,98	31,33	7,86
(ख) स्थानीय निकायों को .. .. .	19,74	19,18	13,89
(ग) राज्य विद्युत परिषद् को .. .. .	1,86,49	2,62,78	2,72,71
(घ) सार्वजनिक उद्यम .. .. .	31,20	36,49	27,10
(ङ) अन्य को .. .. .	11,06	11,56	8,23
2.2--चालू खपत हेतु .. .. .	11,81	4,61	4,78
(क) सहकारिता को .. .. .	..	..	..
(ख) स्थानीय निकायों को .. .. .	10	..	..
(ग) सार्वजनिक उद्यमों को .. .. .	2,07	1,50	2,70
(घ) अन्य को .. .. .	9,64	3,11	2,08
3--योग .. .. .	3,43,41	5,29,36	4,91,43
5	6	7	8
<b>ख--आय</b>			
4--ऋणों की वसूलियां .. .. .	40,24	36,00	59,46
5--शेष--वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध-वृद्धि .. .. .	3,03,17	4,93,36	4,31,97
6--योग .. .. .	3,43,41	5,29,36	4,91,43

## उत्तर प्रदेश सरकार

## लेखा—5

## वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

## सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपये)

मद	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
<b>क—व्यय</b>			
1—सार्वजनिक ऋणों की वापसी .. .. .	1,42,83	2,11,73	2,34,11
1.1 स्थायी ऋण .. .. .	10,06	13,00	14,75
1.2 केन्द्रीय सरकार से ऋण .. .. .	1,18,35	1,38,19	1,59,00
1.3 अन्य ऋण .. .. .	14,42	60,54	60,36
2—शेष-वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि .. .. .	4,72,62	4,01,78	4,06,14
3—योग .. .. .	6,15,45	6,13,51	6,40,25
5	6	7	8
<b>ख—आय</b>			
4—सार्वजनिक ऋण .. .. .	5,22,79	5,06,57	5,60,43
4.1 स्थायी ऋण .. .. .	43,26	92,40	1,12,34
4.2 केन्द्रीय सरकार से ऋण .. .. .	3,81,35	3,93,08	3,96,41
4.3 अन्य ऋण .. .. .	98,18	21,09	51,68
4.4 अल्पकालीन ऋण (शुद्ध) .. .. .	..	..	..
5—अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध) .. .. .	45,72	46,58	49,85
6—अन्तराजकीय उच्चत लेखा (शुद्ध) .. .. .	(- )1,26	..	..
7—अन्य ऋण निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध) .. .. .	48,20	60,36	29,97
8—योग .. .. .	6,15,45	6,13,51	6,40,25



उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा --6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता  
(लाख रुपये)

मद	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
<b>क—व्यय</b>			
1—वस्तुओं और सेवाओं के सब लेन-देन और अन्तरणों पर घाटा (सन्तुलनकारी मद लेखा-3)	2,35,22	(-) 59,89	1,03,13
2—वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद लेखा-4)	3,03,17	4,93,36	4,31,97
3—रोकड़ बाकी में वृद्धि .. .. .	..	..	..
4—योग .. .. .	5,38,39	4,33,47	5,35,10
5	6	7	8
<b>ख—आय</b>			
5—वित्तीय दायित्व में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद लेखा-5)	4,72,62	4,01,78	4,06,14
6—रोकड़ बाकी में कमी .. .. .	65,77	31,69	1,28,96
7—योग .. .. .	5,38,39	4,33,47	5,35,10

### अध्याय—3

#### सामन्जस्य (रिकन्सिलियेशन)

आय-व्ययक (वित्तीय विवरणों) में दिये गये राजस्व और व्यय के योग आर्थिक वर्गीकरण में दिये गये योगों से नहीं मिलते हैं। उदाहरणार्थ सामान्य आय-व्ययक में वर्ष 1982-83 के लिये राजस्व लेखा की प्राप्तियां 2268.11 करोड़ रु० रखी गयी हैं। जब कि इस वर्गीकरण के लेखा-1 में राजकीय प्रशासन का इस वर्ष के लिये चालू राजस्व 1923.94 करोड़ रु० निकाला गया है। इसी प्रकार वर्ष 1982-83 के लिये राजस्व लेखा से बाह्य राजकीय पूंजीगत व्यय 391.85 करोड़ रु० है, जबकि यही धनराशि इस वर्गीकरण के लेखा-3 में 402.35 करोड़ रु० है। इस वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न अतिरेक तथा घाटे आय-व्ययक में दिखाये गये अतिरेक एवं घाटों से भिन्न हैं। उदाहरणार्थ आय-व्ययक का राजस्व लेखा 91.77 करोड़ रु० की बचत इंगित करता है जबकि आर्थिक वर्गीकरण में राजकीय प्रशासन (लेखा-1) का चालू खाता 209.76 करोड़ रु० की बचत प्रदर्शित करता है। सामान्य आय-व्ययक के पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रकार की विषमताओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि इन विषमताओं की व्याख्या की जाय। इसी उद्देश्य से आर्थिक वर्गीकरण के आंकड़ों का सामान्य आय-व्ययक में दिये गये राजस्व व्यय तथा राजी लेखों के आंकड़ों से सामन्जस्य प्रस्तुत किया गया है। यह सामन्जस्य प्राप्ति्यों और व्ययों के अपेक्षित अनुमानों की तुलना के साथ-साथ पुनर्वर्गीकरण में निहित समायोजनों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह सामन्जस्य अनुवर्ती सारिणियों में दिखाया गया है।

## सारिणी 3.1

(लाख रुपये)

मद	वास्तविक	पुनरीक्षित	आय-व्ययक
	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4
<b>I--चालू लेखा--राजस्व--</b>			
1--राजस्व जैसा कि वित्तीय विवरण में दिखाया गया है घटाइए--	18,98,72	21,01,28	22,86,11
2--पूँजी लेखा में अतिरिक्त सम्पदा शुल्क	50	69	69
3--भूमि और सम्पत्ति का विक्रय	21	26	29
4--वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्त जिनको व्यय में से घटा दिया गया।	18,57	20,09	22,97
5--भारत सरकार से प्राप्त एवं पूँजी लेखा में अन्तर्गत पूँजी प्रकृति के अनुदान।	1,44,45	1,62,26	1,66,78
6--निधियों से प्राप्तियां	85	1,23	1,09
7--रोकड़ शेष के विनियोजन खाते पर व्याज	4,49	1,50	50
8--विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की बिक्री से आय	1,94,10	1,93,50	2,08,25
9--विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से व्याज की प्राप्तियां जोड़िए--	68,21	69,65	74,94
10--राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो राजस्व की प्राप्तियों के रूप में दिखाई गई।	48	76	8
11--वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का लाभ	34,26	29,75	30,12
12--अन्य प्रकीर्ण समायोजन	1,05,33	96,10	1,01,14
13--कुल समायोजन	(-) 2,91,31	(-) 3,22,57	(-) 3,44,17
14--आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू राजस्व (लेखा-1, मद 9)	16,07,41	17,78,71	19,23,94

## सारिणी ३.१

(लाख रुपये)

मद	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
<b>II--चालू खाता--व्यय--</b>			
1--वित्तीय विवरणों में दिखाये गये राजस्व संबंधी व्यय घटाइये--	17,16,09	18,51,24	21,76,34
2--वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्त	18,57	20,09	22,97
3--ऋण कम करना अथवा उसके परिहार के लिये विनियोग	35,78	38,14	45,13
4--विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की वसूलियों को प्राप्तियां न मानना ।	68,21	69,65	74,94
5--रोकड़ शेष विनियोजन खाता पर व्याज	4,49	1,50	50
6--राजस्व लेखा में पूंजी जैसा व्यय	1,50,50	2,16,62	2,28,66
7--विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू व्यय (शुद्ध)	1,61,99	1,66,39	1,81,29
8--पूंजी लेखा में लेखा पालन संबंधी अन्तरण	18,44	18,78	17,73
9--निधियों में अन्तरण (निधियों के अन्तरण के समायोजन के पश्चात्) ।	1,94	2,40	(-) 7,84
<b>गोड़िए--</b>			
10--पूंजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय	..	..	..
11--राजस्व, अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो कि राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाई गयीं ।	48	76	8
12--अन्य प्रकीर्ण समायोजन	1,05,33	96,10	1,01,14
13--कुल समायोजन	(-) 3,54,11	(-) 4,36,71	(-) 4,62,16
14--आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू व्यय (लेखा-1 मद 1+2)	13,61,98	14,14,53	17,14,18


## सारिणी 3.1--(समाप्त)

(लाख रुपये)

मद	वास्तविक 1980-81	पुनरोक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
<b>III--पूँजी लेखा--व्यय--</b>			
1--वित्तीय विवरण में दिखाया गया राजस्व से चुकाया जाने वाला पूँजीगत व्यय	4,81,33	3,96,36	3,91,85
<b>घटाइए--</b>			
2--वित्तीय निवेश	50,13	1,63,41	1,56,86
3--पूँजी लेखा से राजस्व जैसा व्यय	..	..	..
4--विभागीय वाणिज्यिक उपाक्रमों का चालू व्यय	..	1	1
5--राजस्व प्राप्तियों में से भूमि और संपत्ति की विक्रय राशि का घटाया जाना	21	26	29
<b>जोड़िये--</b>			
6--राजस्व लेख से चुकाया जाने वाला पूँजी व्यय	1,50,50	2,16,62	2,28,66
7--विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के राजस्व लेखा से चुकाया जाने वाला पूँजीगत व्यय	18,44	18,78	17,73
8--वसूलियों के लिये बजट में व्यय का पूरा करना	..	1,15	1,25
9--निधियों से अन्तरण	32,48	7,50	8,90
10--अन्य प्रकीर्ण समायोजन	..	..	..
11--कुल समायोजन	1,51,08	8,9,37	99,38
12--आय-व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया पूँजीगत व्यय (लखा-3, मद-3)	6,32,41	4,76,73	4,91,23

# राज्य सरकार के चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय

करोड़ रु.  
3000



○ पुनरीक्षित अनुमान

\* आय व्ययक अनुमान

## अध्याय—4

### कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष

4.1--गत पृष्ठों में वर्णित लेखाओं में प्रदेश की शेष अर्थ-व्यवस्था की तुलना में राज्य सरकार के लेन-देनों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण से जिन महत्वपूर्ण निष्कर्षों का पता चलता है उनमें से कुछ निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :--

- (क) राज्य सरकार का कुल व्यय तथा अन्तिम परिव्यय,
- (ख) आय-व्ययक सम्बन्धी साधन नें से पूंजी निर्माण और शुद्ध पूंजी निर्माण,
- (ग) राज्य सरकार की बचत,
- (घ) राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देनों में होने वाले घाटे के विभिन्न स्तर और
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा आय सृजन।

#### (क) (1) कुल व्यय --

4.1.1--1982-83 के आय-व्ययक में त्रिभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्य चालन व्ययों को छोड़कर राज्य सरकार का अनुमानित कुल व्यय 2637.38 करोड़ रुपये हुआ। यह व्यय 1981-82 के पुनरीक्षित अनुमानों से 252.76 करोड़ रुपये तथा 1980-81 के वास्तविक खर्च से 339.82 करोड़ रुपये अधिक है। व्यय की मुख्य मदों के अनुसार वितरण नीचे सारणी में दिया गया है :--

#### सारणी 4.1

(लाख रुपये)

व्यय की मदें	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1---अन्तिम परिव्यय	12,14,97	10,70,66	13,40,06
(क) राष्ट्रीय खपत सम्बन्धी बा (देखिए लेखा 1, मद-1) ..	6,98,11	7,05,44	9,37,11
(ख) सकल पूंजी निर्माण (देखिए लेखा-3, मद-1) ..	5,16,86	3,64,92	4,02,35
2--राज्य के शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण अदायगियां--	7,79,42	8,20,60	8,65,35
(क) चालू अन्तरण (देखिए लेखा-1, मद-2) ..	6,63,87	7,08,79	7,76,47
(ख) पूंजी अन्तरण (देखिए लेखा-3, मद-2) ..	1,15,55	1,11,81	88,88
3--राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय निवेश और ऋण (शुद्ध) (देखिए लेखा-4, मद-5)	3,03,17	4,93,36	4,31,97
4--कुल व्यय (1+2+3) .. .. .	22,97,56	23,84,62	26,37,38

#### (2) अन्तिम परिव्यय :--

4.1.2--1982-83 के लिए आय-व्ययक में 2637.38 करोड़ रुपये के अनुमानित कुल व्यय में से 1340.06 करोड़ रुपये या कुल व्यय का 50.8 प्रतिशत सरकार का अन्तिम परिव्यय है। 1981-82 के पुनरीक्षित अनुमान एवं 1980-81 के वास्तविक अन्तिम परिव्यय क्रमशः 1070.66 करोड़ रुपये एवं 1214.97 करोड़ रुपये हैं जो कुल व्यय अर्थात् 2384.62 करोड़ रुपये एवं 2297.56 करोड़ रुपये का क्रमशः 44.9 एवं 52.9 प्रतिशत है। यह परिव्यय खपत और पूंजी निर्माण के लिए राज्य सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग को इंगित करते हैं। वर्ष 1982-83 में कुल व्यय का शेष भाग 1297.32 करोड़ रुपये या 49.2 प्रतिशत अंश अन्तरण अदायगियां, वित्तीय निवेशों एवं ऋणों के रूप में शेष अर्थ व्यवस्था को प्रदान करने के लिए अनुमानित है जो कि अन्य खण्डों से उनके बालू अथवा पूंजीगत प्राप्तियों को अनुपूर्ति करने के लिए है। कुल व्यय का शेष भाग वर्ष 1981-82 (पुनरीक्षित अनुमान) और 1980-81 (वास्तविक) के लिए क्रमशः 1313.96 करोड़ रुपये तथा 1082.59 करोड़ रुपये तथा अन्तिम वर्ष प्रतिशत क्रमशः 55.1 एवं 47.1 है।

## (ब) (1) सकल पूंजी निर्माण:—

4.1.3--1982-83 में राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुल पूंजी निर्माण की रकम 402.35 करोड़ रुपये आंकी गयी है, जो इस वर्ष के अन्तिम परिचय के कुल 1340.06 करोड़ रुपये का 30.0 प्रतिशत है। यह राशि वर्ष 1981-82 के पुनरीक्षित अनुमानों से 37.43 करोड़ रुपये अधिक एवं 1980-81 के वास्तविक व्यय से 114.51 करोड़ रुपये कम है।

## (2) शुद्ध पूंजी निर्माण:—

4.1.4--1982-83 में राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण अर्थात् स्थिर परिसम्पत्तियों तथा तालिकागत सामानों के भण्डार में वृद्धि 386.07 करोड़ रुपये होने का प्राविधान है। वर्ष 1981-82 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार 350.63 करोड़ रुपये तथा 1980-81 के वास्तविक व्यय पर अंशित 501.61 करोड़ रुपये। शुद्ध पूंजी निर्माण के विभिन्न वर्गों का विवरण नीचे की सारिणी में दिया गया है:—

## सारिणी 4.2

(लाख रुपये)

पूंजी निर्माण की मदें	वास्तविक	पुनरीक्षित	आय-व्ययक
	1980-81	1981-82	अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1--भवन तथा अन्य निर्माण-कार्य [(देखिए लेखा-3, मद 1.1 क (1)+ ख (1) तथा 1.4-क (1)+ख (1)]	4,02,74	4,72,40	4,71,77
2--मशीन और उपकरण [देखिए लेखा-3, मद 1.2 (1) व 1.5 (1)]	15,40	18,07	21,32
3--तालिका गत सामान में वृद्धि (देखिए लेखा-3, मद 1.3 व 1.6)	83,47	(-) 1,39,84	(-) 1,07,02
4--शुद्ध पूंजी निर्माण (1+2+3)	5,01,61	3,50,63	3,86,07

## (3) शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता—

4.1.5--राज्य सरकार द्वारा किए गए शुद्ध पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1982-83 के लिये 574.53 करोड़ रु० का प्राविधान है। यह सहायता 1981-82 के लिये 635.56 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 1980-81 के लिए 446.79 करोड़ रु० (वास्तविक) थी। ऐसी सहायता के विभिन्न वर्गों का विवरण नीचे दिया गया है:—

## सारिणी 4.3

(लाख रुपये)

सहायता की मदें	वास्तविक	पुनरीक्षित	आय-व्ययक
	1980-81	1981-82	अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1--पूंजी निर्माण के लिये अनुदान (देखिए लेखा-3, मद 2.1 व 2.2)	1,15,19	1,10,81	87,88
2--पूंजी निर्माण के लिये ऋण (देखिए लेखा-4, मद 2.1)	2,81,47	3,61,34	3,29,79
3--निवेश (इन्वेस्टमेंट) (देखिए लेखा 4, मद-1)	50,13	1,63,41	1,56,86
4--शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये कुल वित्तीय सहायता (1+2+3)	4,46,79	6,35,56	5,74,53



## (4) राज्य सरकार के आय-व्ययक संबंधी साधनों से शुद्ध पूंजी निर्माण—

4. 1. 6—पूर्व प्रस्तारों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा अपने आय-व्ययक सम्बन्धी साधनों से शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए वर्ष 1982-83 में कुल मिलाकर 960. 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुमानित है। यह व्यवस्था 1981-82 के लिए 986. 19 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 1980-81 के लिए 948. 40 करोड़ रुपये (वास्तविक रकम) थी। ये राशियां 2637. 38 करोड़ रुपये और 2384. 62 करोड़ रुपये और 2297. 56 करोड़ रुपये के कुल व्ययों की क्रमशः 36. 4 प्रतिशत, 41. 4 प्रतिशत तथा 41. 3 प्रतिशत हैं। इसकी संरचना नीचे तालिका में दिखाई गई है :—

## सारिणी 4.4

(लाख रुपये)

शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए आय-व्ययक सम्बन्धी संसाधन	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1—राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण (सारिणी 4. 2, मद 4) ..	5,01,61	3,50,63	3,86,07
2—शेष अर्थ-व्यवस्था में शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता (सारिणी 4. 3, मद 4)	4,46,79	6,35,56	5,74,53
3—आय-व्ययक सम्बन्धी संसाधनों द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण (1+2)	9,48,40	9,86,19	9,60,60

## (ग) राज्य सरकार की बचत—

4. 1. 7—राज्य सरकार द्वारा 1982-83 में शुद्ध पूंजी निर्माण हेतु 386. 07 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसकी अंशेक्षी राजकीय शुद्ध बचत 203. 10 करोड़ रुपये अनुमानित है। 1981-82 के पुनरीक्षित अनुमानों में यह बचत 358. 23 करोड़ रुपये तथा 1980-81 में वास्तविक बचत 236. 99 करोड़ रुपये थी जैसा कि निम्न सारिणी में दिखाया गया है :—

## सारिणी 4.5

(लाख रुपये)

बचत	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1—चालू खाते की बचत (देखिए लेखा 3, मद 4. 1) ..	2,45,43	3,64,18	2,09,76
2—अवमूल्यन के लिए व्यवस्था (देखिए लेखा 3, मद 4. 2) ..	6,81	8,33	9,61
3—ग्रहीत लाभ (देखिए लेखा 3, मद 4. 3) ..	..	1	1
4—राज्य सरकार की कुल बचत (1+2+3) ..	2,52,24	3,72,52	2,19,38
5—नवीकरण तथा प्रतिस्थापन पर व्यय (देखिए लेखा-3) ..	15,25	14,29	16,28
6—राज्य सरकार की शुद्ध बचत (4-5) ..	2,36,99	3,58,23	2,03,10

## (घ) चालू प्राप्तियां (करेंट रिसिप्ट्स)

4. 1. 8—1982-83 के लिये चालू प्राप्तियों का आय-व्ययक अनुमान 1923. 94 करोड़ रुपये का है। वर्ष 1981-82 के लिये पुनरीक्षित अनुमान 1778. 71 करोड़ रुपये एवं वर्ष 1980-81 की वास्तविक प्राप्तियां 1607. 41 करोड़ रु० थी। इन चालू प्राप्तियों को आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है :—

## सारिणी 4.6

(लाख रुपये)

चालू प्राप्तियां	वास्तविक	पुनरीक्षित	आय-व्ययक
	1980-81	अनुमान 1981-82	अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1--करों से प्राप्तियां (देखिए लेखा-1, मद-5)	12,54,37	14,28,21	15,21,72
2--उद्यमों एवं सम्पत्ति से आय (देखिए लेखा-1, मद-6)	76,87	93,39	96,96
3--परिवारों से अन्तरण (देखिए लेखा-1, मद-7)	37,68	33,24	67,81
4--राजस्व अनुदान, अंशदान एवं शेष अर्थ-व्यवस्था से वसूलियां (देखिए लेखा-1, मद-8)	2,38,49	2,23,87	2,37,45
5--चालू प्राप्तियां (1+2+3+4)	16,07,41	17,78,71	19,23,49

(ङ) चालू खर्च (करेंट आउटगोइंग)

4. 1. 9--ऊपर दिखाई गई चालू प्राप्तियों के परिणाम की अपेक्षा 1982-83 के लिए आय-व्ययक में कुल 1714. 18 करोड़ रुपये के चालू खर्चों की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था 1981-82 के लिए 1414. 53 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) एवं 1980-81 के लिये 1361. 98 करोड़ रु० (वास्तविक व्यय) की थी, जैसा कि निम्न सारिणी से स्पष्ट है :-

## सारिणी 4.7

(लाख रुपये)

चालू व्यय	वास्तविक	पुनरीक्षित	आय-व्ययक
	1980-81	अनुमान 1981-82	अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1--खपत सम्बन्धी व्यय (देखिए लेखा-1, मद-1)	6,98,11	7,05,74	9,37,71
2--अन्तरण अदायगियां (देखिए लेखा-1, मद-2)	6,63,87	7,08,79	7,76,47
3--चालू खर्च (1+2)	13,51,98	14,14,53	17,14,18

(च) (1) आमदनी में घाटा (इनकमडिफिसिट)-

4. 1. 10--शुद्ध बचत की अपेक्षा शुद्ध निवेश की अधिकता राज्य सरकार की आय में घाटे को प्रदर्शित करती है, जिसका विवरण नीचे की सारिणी में दिया गया है :-

## सारिणी 4.8

(लाख रुपये)

शुद्ध निवेश एवं बचत	वास्तविक	पुनरीक्षित	आय-व्ययक
	1980-81	अनुमान 1981-82	अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1--राज्य सरकार के पूंजी निर्माण में शुद्ध निवेश (सारिणी 4. 2, मद-4)	5,01,61	3,50,63	3,86,07
2--राज्य सरकार की शुद्ध बचत (सारिणी 4. 5, मद-6)	2,36,99	3,58,23	2,03,10
3--राज्य सरकार की आय में घाटा (1-2)	2,64,62	(-)7,60	1,82,97

उपर्युक्त घाटा उस अन्तर को प्रकट करता है जो शुद्ध पूंजी अन्तरणों के समायोजन पर्यन्त राज्य सरकार को राज्य में लिये जाने वाले वास्तविक ऋणों तथा बाह्य ऋणों से पूरा करना पड़ता है।

## (2) राज्य सरकार की वित्तीय आवश्यकतायें—

4.1.11—उपर्युक्त घाटे में शुद्ध पूंजी अन्तरणों के समायोजन के उपरान्त राज्य सरकार के वित्तीय परिसंपत्तियों में लेन-देनों से उत्पन्न घाटे को जोड़ देने से प्राप्त योग सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करती है। जो लेखा-3 एवं लेखा-4 में दिखाई गई सन्तुलनकारी मदों के योग से भी प्राप्त होता है। 1982-83 के लिये यह घाटा 535.10 करोड़ रुपये है जो 1981-82 के पुनरीक्षित अनुमानों से 101.63 करोड़ रुपये अधिक तथा 1980-81 के वास्तविक व्यय से 3.29 करोड़ रुपये कम है, जैसा कि निम्न सारिणी से प्रकट है :—

## सारिणी 4.9

(लाख रुपये)

मद	वास्तविक	पुनरीक्षित	आय-व्ययक
	1980-81	अनुमान 1981-82	अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1—राज्य सरकार की आय में घाटा (देखिए सारिणी 4.8, मद-3)	2,64,62	(-) 7,60	1,82,97
2—शुद्ध पूंजी अन्तरण लेखा-3, (मद 5-मद 2)	29,40	52,29	79,84
3—वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन-देनों और अन्तरणों पर घाटा (1-2) (देखिए लेखा-3, मद-6)	2,35,22	(-) 59,89	1,03,13
4—वित्तीय परिसंपत्ति (ऐसेट्स) में शुद्ध वृद्धि (देखिए लेखा-4, मद-5)	3,03,17	4,93,36	4,31,97
5—घाटा जो कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करता है (3+4)	5,38,39	4,33,47	5,35,10

## (छ) (1) वित्त व्यवस्था के स्रोत—

4.1.12—उपरोक्त घाटे को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था नीचे दी गई सारिणी में दिखाई गई है—

## सारिणी 4.10

(लाख रुपये)

मद	वास्तविक	पुनरीक्षित	आय-व्ययक
	1980-81	अनुमान 1981-82	अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1—शुद्ध ऋण (नेट बारोइंग)—	4,72,62	4,01,78	4,06,14
1.1—स्थायी ऋण (शुद्ध) (परमानेंट डेट)	33,20	79,40	97,59
1.2—केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण (शुद्ध)	2,63,00	2,54,89	2,37,41
1.3—अनिधिवद्ध ऋण (शुद्ध) (अनफन्डेड डेट)	45,72	46,58	49,85
1.4—अन्य ऋण (शुद्ध) (अदर डेट)	83,76	(-) 39,45	(-) 8,68
1.5—अन्य ऋण, निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध) (अदर डेब्ट्स, डिपॉजिट्स रेमिटेन्सेज)	46,94	60,36	29,97
2—घाटे की वित्तीय व्यवस्था (डिफिसिट फाइनेन्सिंग)	65,77	31,69	1,28,96
2.1—अल्पकालीन ऋण में वृद्धि (शुद्ध) (इन्क्रीज इन फ्लोइंग डेट)	..	..	..
2.2—रोकड़ बाकी से निकास (विदडाल)	65,77	31,69	1,28,96
3—योग (1+2) (देखिए सारिणी - 4.9, मद-5)	5,38,39	4,33,47	5,35,10

मद--2 के अन्तर्गत दी गई घाटे की वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार के आय-व्ययक संबंधी लेन-देनों का मुद्रा-पूर्ति पर विस्तारक प्रभाव को केवल आंशिक रूप से प्रकट करती है

(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ--

4.1.13--1982-83 में सभी विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ 30.12 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। 1981-82 के लिए पुनरीक्षित अनुमान 29.75 करोड़ रुपये आंका गया है। 1980-81 में वास्तविक लाभ 34.26 करोड़ रुपये था। इन परिणामों से प्रतिष्ठानों की कार्य-प्रणाली पर वित्तीय परिणामों का पता चलता है। इसकी नाप कार्य-चालन व्ययों की अपेक्षा कुल प्राप्तियों के अतिरिक्त द्वारा की जाती है। इनका अन्तरण राजकीय प्रशासन को कर दिया जाता है और उसकी बचत में जोड़ दिया जाता है। शुद्ध लाभ की व्युत्पत्ति नीचे दिखाई गई है :--

#### सारिणी 4.11

(लाख रुपये)

मद	वास्तविक	पुनरीक्षित	आय-व्ययक
	1980-81	1981-82	अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1--कुल प्राप्तियां-- (देखिए लेखा-2, मद-11)	1,96,25	1,96,14	2,11,41
2--कार्य चालन व्यय (आपरेटिंग एक्सपेंसेस) (देखिए लेखा-2, मद-1 से 6)	1,61,99	1,66,39	1,81,29
3--शुद्ध लाभ (1--2)	34,26	29,75	30,12

(ज) आमदनी में अंशदान--

4.1.14--राज्य सरकार की आय-व्ययक सम्बन्धी कार्यवाहियों से 1982-83 में कुल 1064.39 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान किया गया है। यह आमदनी 1981-82 में 850.32 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 1980-81 के लिये 747.03 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा उत्पादित कुल आमदनी का विवरण नीचे की सारिणी में दिया गया है :--

#### सारिणी 4.12

(लाख रुपये)

आमदनी विवरण	वास्तविक	पुनरीक्षित	आय-व्ययक
	1980-81	1981-82	अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1--सरकारी प्रशासन द्वारा दी गई मजदूरी और वेतन	3,98,97	4,61,04	6,65,66
2--विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध उत्पादन	1,58,71	1,60,12	1,71,97
(अ) मजदूरी और वेतन (मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों के मजदूरी संबंधी 50 प्रतिशत भाग सहित)	52,16	55,54	60,73
(ब) ब्याज	68,21	69,65	74,94
(स) लाभ (प्रशासन को अन्तरित और रखे गये लाभ तथा नवीकरण और प्रतिस्थापन की अपेक्षा अकमूल्यन व्यवस्था का अतिरिक्त शामिल है)	38,34	34,93	36,30
3--निर्माण-कार्यों पर होने वाले राजकीय परिव्यय का मजदूरी और वेतन संबंधी भाग [लेखा-3 की मद 1.1 क (1) व 1.4-क (1) का एक-तिहाई भाग तथा 1.1 (ख)(1) व 1.4 (ख) (1) का आधा भाग]	1,89,34	2,29,16	2,26,76
योग (1+2+3)	7,47,03	8,50,32	10,64,39

## अध्याय—5

### लेखाओं पर टिप्पणियाँ

#### लेखा—1

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण, सरकारी प्रशासन का चालू खाता

5. 1—इस लेखा में राजकीय प्रशासकीय विभागों का चालू राजस्व और व्यय दर्शाया गया है। लेखा-2 के अन्तर्गत सम्मिलित विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभाग आर्थिक वर्गीकरण हेतु प्रशासकीय माने गये हैं। प्रशासकीय विभागों के चालू व्यय को राजकीय चालू खाते में अन्तिम परिव्यय के रूप में दिखलाया गया है जो कि राजकीय चालू खपत को दिखलाता है। प्रशासन के चालू व्यय में (1) अन्तिम परिव्यय और (2) अन्तरण अदायगियाँ (ट्रान्सफर पेमेन्ट) सम्मिलित हैं। अन्तरण अदायगियों द्वारा सरकार के शेष अर्थ-व्यवस्था की निस्तारण योग्य आय 'डिसपोजिबिल इनकम, की अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करती है। इन सम्पूर्ण व्ययों की पूर्ति करने के लिये विभिन्न करों प्रकीर्ण प्राप्तियों, ऋणों अनुदानों और केन्द्रीय सरकार से वसूलियों इत्यादि से होने वाली सामुदायिक आय के एक भाग के अतिरिक्त विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभों का सरकार विनियोग करती है। खपत सम्बन्धी व्यय और चालू अन्तरण को बुरा करने के उपरान्त राजस्व का अधिशेष पूंजी निर्माण के लिये प्राप्त होने वाली सरकारी प्रशासन की बचत का द्योतक है।

मद 1. 1 (क) —“मजदूरी और वेतन” में अधिकारियों के वेतन, अधिष्ठान का वेतन, उनके भत्ते (यात्रा एवं दैनिक भत्तों के अतिरिक्त) व मानदेय सम्मिलित हैं। भत्तों और मानदेयों में महंगाई भत्ता, मानदेय, प्रतिकर भत्ता, मकान किराया सम्बन्धी भत्ता, सवारी भत्ता और वर्दी भत्ता भी शामिल है। जहाँ यात्रा भत्ता और सभी अन्य भत्ते एक मूण्ट दिये गये हैं वहाँ उनको दो समभागों में विभाजित कर दिया गया है। पूंजी निर्माण गत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन तथा पेंशन को निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

मद 1. 1 (ख) —“पेंशन” के अन्तर्गत अधिवर्ष तथा सेवानिवृत्ति भत्ते, अनुकम्पा भत्ते तथा परिवारिक पेंशन आदि सम्मिलित हैं।

मद 1. 2—“वस्तुओं और सेवाओं” में राजकीय प्रशासन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं जैसे लेखन-सामग्री और मुद्रण व्यय, टेलीफोन सम्बन्धी व्यय, विद्युत् एवं जल सम्बन्धी व्यय, वर्दी सम्बन्धी व्यय, यात्रा एवं दैनिक भत्ते, मनोरंजन सम्बन्धी व्यय, चिकित्सा एवं आहार सम्बन्धी व्यय, पुस्तकें एवं सामयिक पत्रिकाएँ, अन्य सरकारों को दिया गया अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय, कच्चा माल और वाहनों का परिचालन व्यय सम्बन्धी क्रय, मरम्मत और अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय, प्रासंगिक व्यय शीर्षक के अन्तर्गत आकस्मिक श्रमिकों को मजदूरियों की अदायगी सम्मिलित है। राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य प्रशासन का खपत सम्बन्धी व्यय मानकर इस मद में शामिल कर लिया गया है। निर्माणगत परियोजनाओं पर किया गया “वस्तुओं और सेवाओं” का अंश निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है। वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्तियों को व्यय में से घटा दिया गया है।

मद 2—“अन्तरण अदायगियाँ”—आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार के व्यय तीन प्रकार के होते हैं :— 1— खपत सम्बन्धी व्यय 2—पूंजीगत व्यय 3—शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण (वर्गीकरण के पूंजीगत खाते में कुछ अन्तरण पूंजी निर्माण का स्वरूप लेते हैं इसलिये आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत चालू अन्तरण को पूंजीगत अन्तरण से भिन्न माना गया) चालू अन्तरण निम्न भागों में बांटा गया है। ब्याज का भुगतान, स्थानीय निकायों, सरकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान, राज सहायता एवं व्यक्तिगत रूप में अन्य चालू अन्तरण को प्राप्तकर्ताओं की व्यक्तिगत आमदनी बढ़ाते हैं। कभी-कभी सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान सरकार के चालू राजस्व से घटा दिया जाता है। परन्तु यहाँ पर ये भुगतान घटाये नहीं गये हैं।

मद 2. 1—“ब्याज”—सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज तथा लेखा-2, मद-4 में दिखलाये गये वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज के अन्तर्गत भुगतान आते हैं। रोकड़ शेष के विनियोजन पर ब्याज कुल ब्याज से घटा दिया गया है क्योंकि यह अन्तर-विभागीय अथवा अन्तर खाते में अन्तरण है, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है।

मद 2. 2—“अनुदान” को चार वर्गों में विभक्त किया गया है यथा—(1) स्थानीय निकायों को, (2) सहायकारी संस्थाओं को, (3) शिक्षा संस्थाओं को तथा (4) अन्य संस्थाओं को। “अन्य संस्थाओं” के अन्तर्गत उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को तथा अलाभकारी संस्थाओं को दिये गये अनुदान आते हैं।

मद 2. 3—“राज सहायता”—चालू खाते पर सभी अनुदानों को सम्मिलित करता है जो निजी उद्योग सरकार से प्राप्त करते हैं। इनका रूप या तो उत्पादकों को सीधे भुगतान के रूप में होता है या सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों को क्रय और विक्रय के मूल्य में अन्तर के रूप में होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज सहायता उन अनुदानों को सम्मिलित करता है जो सरकार द्वारा सार्वजनिक निगमों को हानियों के क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। सार्वजनिक निगमों के समस्त चालू अन्तरण चाहे वे मूल्य स्तर को बनाये रखने अथवा अन्य उद्देश्यों के लिये हों—“राज सहायता” के अन्तर्गत आता है। विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उन हानियों को जिनकी राज सहायता से पूर्ति नहीं हो सकती है उनको सामान्य राजकीय खाते में ऋणात्मक घाटे के रूप में अन्तरित किया जाता है। सिवार्ड तथा दुग्ध सम्पूर्ति के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा उठायी गयी हानियों को राज सहायता माना जाता है।

मद 2. 4—“अन्य चालू अन्तरण”—इस मद में परिवारों के खाते में किये गये भुगतान चालू अन्तरण के अन्तर्गत आते हैं जैसे विशिष्ट तथा प्रशंसनीय सेवाओं हेतु पेंशन, राजनैतिक तथा प्रादेशिक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक भत्ते, छात्रवृत्तियाँ, अकाल पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता, पुरस्कार भूतपूर्व शासकों को प्रिवीपर्स आदि आते हैं।

मद 3—“चालू खाते की बचत”—चालू खाते के अन्तर्गत व्यय की अपेक्षा प्राप्तियों का अधिशेष (सरप्लस) है।

मद-5—“कर राजस्व” को दो भागों में—(1) “प्रत्यक्ष कर” व (2) “अप्रत्यक्ष कर” में वर्गीकरण किया गया है। “प्रत्यक्ष कर” में केंद्रीय करों में निगम करों के अतिरिक्त राज्य का भाग, वृषि सम्पत्ति पर कर, भू-राजस्व तथा नगरीय भूमि कर सम्मिलित है। अप्रत्यक्ष कर में उत्पादकों पर उनके द्वारा किये गये उत्पादन पर लगाया गया कर, क्रय-विक्रय अथवा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग जो कि उत्पादन के खर्चों में सम्मिलित होते हैं अप्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष करके सामान्य उदाहरण निम्न हैं। आयात, निर्यात व उत्पादन शुल्क, विक्री-कर, मनोरंजन शुल्क, बाजी-कर (बेटिंग टैकसेज), व्यवसाय लाइसेन्स तथा लेन-देन (स्टाम्प) कर तथा भू-संपत्ति एवं भूमिकर।

मद 6—“सम्पत्ति और उद्यमों से आय”—इस मद में प्रशासन को अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से लाभ तथा भवनों अथवा अन्य सम्पत्तियों से प्राप्तियाँ ब्याज तथा लाभांश से प्राप्त धनराशि सम्मिलित है।

मद 7—“परिवारों से अन्तरण” इस मद के अन्तर्गत वे भुगतान जो परिवारों और निजी अलाभकारी संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को नियंत्रित तथा सामाजिक सेवाओं के व्यय हेतु मुख्यतः सरकारी एजेन्सीज के द्वारा लिया जाता है। सरकारी एजेन्सीज द्वारा नियंत्रित व्यय नियंत्रित कार्यों और उन सेवाओं हेतु जिनके लिये कोई और प्राइवेट क्षेत्र, समतुल्य उपलब्ध नहीं है, के सम्बन्ध में है। ऐसी सेवाएँ अधिकांश रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, क्योंकि यह अनिवार्य अधिकार के प्रयोग पर निर्भर करता है। परिवारों द्वारा इस प्रकार व्ययों के उदाहरण, जन्म, मृत्यु, विवाह के लिये पंजीकरण फीस, कोर्ट फीस, जुर्माने और दण्ड आदि हैं जो राज्य सरकार के बजट के विभिन्न राजस्व शीर्षकों के अन्तर्गत दिखलाये गये हैं।

मद 8—“राजस्व अनुदान अंशदान एवं वसूलियाँ”—इस मद के अन्तर्गत चालू अन्तरण से प्राप्तियाँ जोकि संघीय सरकार तथा अन्य संस्थाओं से संभूत होती हैं, सम्मिलित की जाती हैं। अन्तरण जो उत्पादन अथवा खपत को आर्थिक रूप से पोषित करने हेतु उपयोग किये जाते हैं, उनको चालू अन्तरण में वर्गीकृत किया गया है।

## लेखा—2

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

5. 2—यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वस्तुओं और सेवाओं का लेन-देन एवं अन्तरणों को प्रकट करता है ये प्रतिष्ठान मुख्यतः विक्रय हेतु वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे हुए हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा सामान इत्यादि का क्रय अन्तर्वर्ती व्यय (जैसे कच्चे माल एवं ईंधन सम्बन्धी मूल्य इत्यादि) हैं और ये प्रशासकीय विभागों द्वारा किये गये अन्तिम परिव्यय से विल्कुल भिन्न हैं। यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभ और हागि के विवरण को प्रकट करता है। इसमें सन्तुलनकारी मद अधिशेष है जिससे लेखा—1 के प्राप्ति पक्ष को अग्रणीत किया जाता है।

आर्थिक वर्गीकरण के उद्देश्यों से निम्नलिखित को विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान माना गया है:—

- (1) वन,
- (2) सिंचाई,
- (3) मूद्रणालय,
- (4) उद्योग :—
  - (क) सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माणशाला, लखनऊ।
  - (ख) विभूति कांच कारखाना, वाराणसी।
  - (ग) अन्य।
- (5) दुग्ध सम्पत्ति।

इन विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के व्यय को वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, वस्तुओं और सेवाओं, मरम्मत और अनुरक्षण, ब्याज, अवमूल्यन के लिये व्यवस्था तथा ग्रहीत लाभ में वर्गीकृत किया गया है। शेष जो इन प्रतिष्ठानों का लाभ है राजकीय प्रशासन को वित्तीय प्रबन्धन हेतु अन्तरित कर दिया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन प्रतिष्ठानों के लेन-देन के सभी पहलुओं का परावर्तन प्रस्तुत लेखाओं में नहीं होता। आय-व्ययक में लेखा पालन का रूप वित्तीय वर्ष की अवधि में मुख्यतः वास्तविक रोकड़ प्राप्तियाँ तथा संवितरण प्रदर्शित करता है और भण्डारण स्थिति पर प्रकाश नहीं डालता। इसके अतिरिक्त उसमें अर्जित और वेय धनराशियों का भी संकेत नहीं रहता इस प्रकार रोकड़ाधार पद्धति (कैश बेसिस सिस्टम) राजकीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का समस्त चित्रण करने में पूर्णतः समर्थ नहीं है। इसलिये इसका वास्तविक परिवर्तन आय-व्ययक में तथा उसके फलस्वरूप आर्थिक वर्गीकरण में नहीं हो पाता।

## लेखा—3

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5. 3—यह लेखा शेष अर्थ व्यवस्था में निजी निर्माण सहित सरकारी प्रशासन तथा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुगत परिसम्पत्तियों (फिजिकल ऐसेट्स, ) के निर्माण को व्यक्त करने वाले कुल पूंजी परिव्यय से सम्बन्धित है। पूंजी निर्माण पर

सम्पूर्ण परिच्यय राष्ट्रीय उत्पत्ति पर एक भार है जिसको वहन करने के लिये सरकार को साधनों की खोज अपनी बचत अथवा निजी बचतों से आहरण द्वारा करनी पड़ती है। इसमें संतुलनकारी मद घाटा प्रकट करती है जिसको ऋण लेकर अथवा रोकड़ बाकी के उत्सारण से पूरा करना होता है।

मद 1—“सकल पूंजी निर्माण”—सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत दो भागों में विभक्त किया गया है:—

- (1) भवन तथा अन्य निर्माण कार्य,
- (2) मशीनें एवं उपकरण।

प्रत्येक उप भाग को निम्न उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है—

- (क) नया परिच्यय,
- (ख) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन।

मद 1.1 (क) व 1.4 (क)—इन मदों में भवन निर्माण कार्यों, आवास कार्यालयों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये भवनों के मूल निर्माण कार्य दिखलाये गये हैं।

मद 1.1 (ख) व 1.4 (ख)—इन मदों के अन्तर्गत परिवहन एवं संचार, विद्युत् शक्ति एवं सिंचाई बांध एवं जल निकास, जल पूर्ति एवं सफाई, भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण के लिये अन्य निर्माण कार्यों पर सम्पूर्ण व्यय सम्मिलित है।

पूंजी निर्माण गत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदत्त मजदूरी और वेतन एवं इस प्रकार की प्रयोजनाओं के संबंध में वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय निर्माण की लागत का ही अंश मानकर तदनुसार लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है। ये व्यय भवन अथवा अन्य निर्माण-कार्यों के अनुपात में बांट दिये गये हैं।

मद 1.2 व 1.5 “मशीनों और उपकरणों” में मशीनों एवं उपकरण, उपस्कर एवं निरोप (फर्नीचर एण्ड फिक्सचर) साधित्र (आपरेटस) औजार एवं संयंत्र (टूल्स एण्ड प्लान्ट्स) और वाहन समाविष्ट है।

मद 1.3 व 1.6—“तालिकागत सामान में वृद्धि (इन्क्रीज इन इनवेन्ट्रीज)”—(1) निर्माण सम्बन्धी सामान और (2) अन्न, उर्वरकों इत्यादि के भण्डारों की शुद्ध वृद्धि अथवा ह्रास दिखाया गया है।

मद 2—“पूंजी अन्तरण” में स्थानीय निकायों तथा औरों को पूंजी निर्माण के लिये अनुदान उदाहरणार्थ पेंशनों की राशि मूल्यपुनर्गृहीत भूमियों (रिज्यूम्ड लैंड्स) बदल में पेंशनें, बकों तथा न्यासी (ट्रस्ट) को देय वार्षिक वृत्तियां, अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन प्रतिकर, इत्यादि सम्मिलित है।

मद 4 व 5—“पूंजी निर्माण” हेतु उपलब्ध प्राप्तियों में लेखा 1 व 2 से अग्रणीत चालू खाते पर कुल बचत, संपदा शुल्क, जायदादों की बिक्री तथा केन्द्रीय सरकार से पूंजीगत अनुदान एवं वसूलियां सम्मिलित हैं। संपदा शुल्क को इस धारणा पर कि यह पूंजी देय है, इस लेखा में शामिल किया गया है।

## लेखा—4]

### वित्तीय परिसम्पत्ति में परिवर्तन

#### सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.4—यह लेखा राजकीय वित्तीय परिसम्पत्तियों में वास्तविक परिवर्तन प्रकट करता है। इसमें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में वित्तीय निवेशों का लेन-देन (अर्थात् श्रेयों में लगायी गयी पूंजी) और शेष-अर्थ व्यवस्था के लिये स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम धनराशियां सम्मिलित हैं। पूंजी निर्माण के लिये ऋण राज्य सरकार द्वारा शेष अर्थ व्यवस्था में पूंजी निर्माण की प्रोत्तति के लिये प्रयासों का द्योतक है। खाते में संतुलनकारी मद घाटा है जिसको लेखा-3 में घाटे में जोड़कर सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता ज्ञात होती है। इसकी पूर्ति ऋण लेकर अथवा राजकीय रोकड़ बाकी में समायोजन द्वारा होता है।

मद 1—“निवेशों में” राजकीय तथा निजी वाणिज्यिक उपक्रमों और वस्तुगत एवं परिसम्पत्तियों में लगाई गई धनराशियां आती हैं।

मद 2.1—“पूंजी निर्माण के लिये ऋणों एवं अग्रिमों” में पूंजीगत परिसम्पत्तियों जैसे सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, औद्योगिक गृह निर्माण योजनाओं, जलकलों इत्यादि के लिये ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

मद 2.2—“अन्य प्रयोजनों हेतु ऋणों” में चालू खपत के लिये ऋणों को ऋण, मकान की मरम्मत के लिये ऋण, छात्रों को ऋण, सवारियों के ऋण हेतु अग्रिम तथा ऋण सम्मिलित है।

## लेखा—5

### वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

#### सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.5—यह लेखा राजकीय दायित्वों को चित्रित करता है। आमदनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में वृद्धि तथा खर्च से दायित्वों में कमी का ज्ञान होता है। खर्च के ऊपर आमदनी का अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यह वृद्धि से भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु अतिरिक्त व्यय का कारण होती है। लेखा 3 व 4 से उत्पन्न घाटे की वित्तीय व्यवस्था

सरकार द्वारा ओढ़े गए दायित्वों में परिवर्तन करने तथा रोकड़ बाकी, यदि कोई हो, के उपयोग से भी की जाती है। इन घटों की पूर्ति विभिन्न विभागीय निधियों (फण्ड्स) एवं निक्षेपों (डिपॉजिट्स) से तथा शेष अर्थ व्यवस्था से खींच कर की जाती है।

इस लेखा में स्थायी ऋणों, केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अन्य ऋणों के कुल रूप में अल्पकालिक ऋण (फ्लोटिंग डेट्स), अनिधिबद्ध (अनफण्डेड डेब्ट्स) अन्य निक्षेपों, ऋणों और विप्रेक्षित राशियों (रेमीटेन्सेज) को शुद्ध रूप में दिखाया जाता है।

### लेखा--6]

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता

5. 6—यह लेखा राज्य सरकार के सभी लेन-देनों का उन के रोकड़ स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट करते हुए लेखा, 3, 4 व 5 के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का संक्षेपण करता है। लेखा-3 वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्तरणों के सभी (वास्तविक) लेन-देनों के सम्बन्ध में यथार्थ स्थिति बताता है तो लेखा-4 व 5 क्रमशः वित्तीय परि संपत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति को प्रकट करते हैं।



**भाग 2**  
**कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण**  
**अध्याय—6**

**(i) आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण**

6. 1—इस अध्याय में आर्थिक दृष्टिकोण एवं कार्य के आधार पर राज्य सरकार के व्ययों के दो विभिन्न वर्गीकरणों की एक ही अन्तः वर्गीकरण आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी में संयुक्त कर प्रस्तुत किया गया है। यह संयुक्त वर्गीकरण बताता है कि किस प्रकार किसी विशेष प्रयोजन—जैसे कृषि के लिये व्यय की आर्थिक वर्गों अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय, पूंजी निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के अन्तर्गतों और ऋणों में विभाजित किया जा सकता है। इससे यह भी प्रकट होता है कि किस प्रकार किसी विशेष आर्थिक वर्ग जैसे पूंजी निर्माण के लिये व्यय को विभिन्न प्रयोजनों अथवा सरकार द्वारा व्यवस्थित सेवाओं के अनुसार वितरित किया गया है। राजकीय आय-व्ययक सम्बन्धी व्ययों का ऐसा अन्तः वर्गीकरण कई वर्षों की अवधि के कार्यक्रम को चित्रित करने तथा वास्तविक व्यय की प्रगति का मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अर्थ-व्यवस्था के सम्पूर्ण राजकीय खंड पर लागू करने से आर्थिक एवं कार्य संबंधी वर्गीकरण की सूचनात्मक उपयोगिता पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है।

**(ii) कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण के सिद्धान्त**

6. 2—लेखापालन क उद्देश्य से अनुराशि की खर्च करते समय व्यय के तत्कालिक मद जैसे मजदूरी और वेतन, वस्तुओं और सेवाओं, अन्य निकायों को अनुदान, ऋण इत्यादि के अनुसार बहुधा व्यय को नियत किया जाता है। आर्थिक वर्गीकरण व्यय के इन प्राथमिक मदों को उसकी आर्थिक प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करता है। इसी प्रकार कार्य के आधार पर वर्गीकरण इन मदों के द्वारा प्रतिपादित विशेष उद्देश्य के अनुसार उसका गठन करता है। कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण का ध्येय तात्कालिक अथवा अल्प-कालिक उद्देश्यों से की गई सेवाओं के अनुसार राजकीय व्यय को प्रकट करना है। जो विशेष प्रकार की सेवाओं पर किये गये सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में जानकारी कराता है।

6. 3—कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (कामर्शियल अन्डरटेकिंग्स) के चालू व्यय सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय अधिकांश राजकीय खण्ड (गवर्नमेन्ट सेक्टर) से बाहर किया जाता है। इन प्रतिष्ठानों में वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय एक अन्तर्वर्ती व्यय (इन्टर-मीडिएट इक्स्पेन्डीचर) है जो उत्पादन व्यय का द्योतक है न कि सरकार द्वारा व्यवस्थित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं पर किये जाने वाले व्यय का है। कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में सामान्यतया: प्राप्तियां सम्मिलित नहीं हैं केवल वे प्राप्तियां ही सम्मिलित हैं जो किसी वस्तु और सेवाओं पर व्यय को उस सीमा तक कम कर देती हैं। इनके उदाहरण हैं—विक्रय से प्राप्तियां अथवा इसी प्रकार की वस्तुलियां अन्य सभी प्राप्तियां जिनमें कर तथा ऋण सम्मिलित हैं, सामान्य, संहत निधि के अंश समझे जाते हैं और उसमें से सभी प्रकार के व्ययों की व्यवस्था की जाती है।

6. 4—आय-व्ययक से दिये गये वर्गीकरण की उपेक्षा करते हुए व्यय की सम्पूर्ण मदों को कार्य के आधार पर व्यापक वर्गों में वर्गबद्ध किया गया है। इस प्रकार कार्य-संबन्धी वर्गीकरण में शिक्षा पर सभी व्यय को शिक्षा उप शीर्षक के अन्तर्गत ही रखा गया है, आय-व्ययक में यह चाहे कहीं भी दिखाया गया है। इस सिद्धांत का अपवाद वे शिक्षा सम्बन्धी कार्य-कलाप हैं जो सरकार की अन्य सेवाओं के अन्तर्गत रखे गये हैं, जैसे "पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय" पुलिस शीर्षक में तथा "बाल सुधार विद्यालय" कारागार शीर्षक के अन्तर्गत रखे गये हैं। पुनः आय-व्ययक के कुछ शीर्षक जैसे सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय प्रसार, सेवा प्रकीर्ण विभाग, सामान्य सेवाएँ, प्रकीर्ण सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन सार्वजनिक निर्माण-कार्य, ऋण इत्यादि के अन्तर्गत व्ययों को विभाजित करके कार्य के आधार पर वर्गीकरण के उचित शीर्षकों के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान में सम्बन्धित व्ययों का सम्बन्धित कार्यभार शीर्षकों में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किये गये कार्यों पर व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है।

6. 5—उपरोक्त दृष्टिकोण से व्यय की विभिन्न मदों को कार्य के आधार पर मुख्यतः निम्न नौ वर्गों में बांटा गया है:—

- |                    |  |                                   |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| (1) सामान्य सेवाएँ | (4) स्वास्थ्य                                  | (7) सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाएँ |
| (2) सुरक्षा        | (5) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाएँ | (8) आर्थिक सेवाएँ                 |
| (3) शिक्षा         | (6) आवास एवं सामुदायिक सेवाएँ                  | (9) अन्य कार्य                    |

इन सेवाओं की विषय वस्तु का उल्लेख अध्याय—7 में किया गया है:—

**(iii) सारिणी**

6. 6—सारिणी 6. 1, 6. 2 तथा 6. 3 में उत्तर प्रदेश के क्रमशः वर्ष 1980-81 (वास्तविक), 1981-82 (पुनरीक्षित) तथा 1982-83 (आय-व्ययक) के लिये व्ययों का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इन सारिणियों में व्यय के आर्थिक एवं कार्य दोनों दृष्टिकोण से साथ-साथ वर्गीकृत किया गया है। कार्य वर्गीकरण क मुख्य नौ भाग हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। आर्थिक वर्गीकरण के व्यापक वर्ग चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय है। कुल व्यय में वित्तीय संपत्तियों में लगाई गई पूंजी तथा सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां भी शामिल हैं। दूसरा तरीका यह हो सकता था कि कुल व्यय में सार्वजनिक ऋणों की अदायगियों को शामिल न किया जाता और वित्तीय निवेशों के शुद्ध रूप में प्रकट किया जाता क्योंकि हमें सार्वजनिक ऋणों की अदायगियों के साथ-साथ दिये गये ऋणों के परिणाम जानने की आवश्यकता रहती है इसलिये इन मदों को कुल व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है।

6. 7—सारिणी 6. 4 व 6. 6 में क्रमशः आर्थिक वर्गों तथा कार्य-सम्बन्धी वर्गों के कुल व्यय के विवरण तथा 5 व 6. 7 में क्रमशः उनके प्रतिशत वितरण की स्थिति प्रस्तुत की गई है।

6. 8—आगे की पृष्ठों पर सारिणी दी गई है।

चालू व्यय									
कार्य संबंधी वर्गीकरण	आर्थिक वर्गीकरण	खपत सम्बन्धी चालू व्यय	घटायें वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	सिधारण ऋण पर व्याज	राज्य सहायता	परिवारों के आय खते में तथा अन्य संस्थाओं के अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1—सामान्य सेवायें	2,70,95	2,63	2,68,32	..	31	86	18,37	28,7,86	
1.1—सामान्य प्रशासन तथा सामाजिक शान्ति एवं व्यवस्था	2,70,95	2,63	2,68,32	..	31	35	18,37	2,87,35	
1.1.1—सामान्य प्रशासन	34,93	3	34,90	..	..	9	..	34,99	
1.1.2—करों की उगाही का व्यय ..	28,03	13	27,90	..	..	..	..	27,90	
1.1.3—न्याय ..	14,55	4	14,51	..	..	..	..	14,51	
1.1.4—कारागार ..	9,97	87	9,10	..	1	..	..	9,11	
1.1.5—पुलिस ..	1,10,39	1,51	1,08,88	..	..	18	..	1,09,06	
1.1.6—अन्य सामान्य सेवायें ..	73,08	5	73,03	..	30	8	18,37	91,78	
1.2—सामान्य शोध ..	..	..	..	..	..	51	..	51	
2—सुरक्षा ..	7,00	..	7,00	..	..	59	24	7,83	
3—शिक्षा ..	77,01	5,74	71,27	..	22	3,21,44	..	3,92,93	
3.1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	10,63	..	10,63	..	..	1	..	10,64	
3.2—स्कूलों, विश्व-विद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सबधी सुविधाएं	66,38	5,74	60,64	..	22	3,21,43	..	3,82,29	
4—स्वास्थ्य ..	79,32	61	78,71	..	..	6,53	..	85,24	
4.1—सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध	1,62	..	1,62	..	..	1	..	1,63	
4.2—अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	77,70	61	77,09	..	..	6,52	..	83,61	
5—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सेवायें	43,84	61	43,23	..	5	25,77	8	69,13	
6—आवास एवं सामुदायिक सुविधाएं ..	42,57	18	42,39	..	9,54	7,38	..	59,31	
7—सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें ..	6,25	43	5,82	..	..	1,02	..	6,84	
8—आर्थिक सेवायें									
8.1—सामान्य प्रशासन ..	1,89,24	8,37	1,80,87	..	1,51,66	8,48	25	3,41,25	
विनियम एवं शोध ..	4,67	1	4,66	..	..	..	..	4,66	
8.2—कृषि, वन, सिंचाई मत्स्य एवं शिकार ..	50,99	5,10	45,89	..	1,34,55	3,58	..	1,84,02	
8.3—खनिज उद्योग एवं निर्माण ..	9,43	12	9,31	..	16,59	1,30	..	27,20	
8.4—विद्युत् गैस, बाष्प एवं पानी ..	37	..	37	..	52	..	..	89	
8.5—परिवहन एवं संचार	1,16,91	5,2	1,16,39	..	..	5	25	1,16,69	
8.6—अन्य आर्थिक सेवायें ..	6,87	2,62	4,25	..	..	3,55	..	7,80	
9—अन्य कार्य ..	50	..	50	84,72	1,12	25,24	..	1,11,58	
योग ..	716,68	18,57	6,98,11	84,72	1,62,90	3,97,31	18,94	13,61,98	

## पूँजीगत परिव्यय

कुल स्थिर पूँजी निर्माण		स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	पूँजी अन्तरण		पूँजी शैयरी में निवेश	ऋण और अग्रिम		सार्वजनिक ऋण की अदायगियाँ	कुल पूँजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीनें एवं उपकरण		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13,55	6,98	..	22	32	1,01	10	2	..	22,20	3,10,06
13,25	6,98	..	22	32	1,01	10	2	..	21,90	3,09,25
5,49	45	..	..	..	..	10	..	..	6,04	41,03
1,16	20	..	..	..	..	..	..	..	1,36	29,26
44	..	..	..	..	..	..	2	..	46	14,97
83	15	..	..	..	..	..	..	..	98	10,09
4,48	5,65	..	..	..	..	..	..	..	10,13	1,19,19
85	53	..	22	32	1,01	..	..	..	2,93	94,71
30	..	..	..	..	..	..	..	..	30	81
1	1	..	..	..	..	..	..	..	2	7,85
16,49	1,27	..	22	3,47	..	..	1,09	..	22,54	4,15,47
..	22	..	..	..	..	..	..	..	22	10,86
16,49	1,05	..	22	3,47	..	..	109	..	22,32	4,04,61
17,35	33	..	..	..	..	..	..	..	17,68	1,02,92
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,63
17,35	33	..	..	..	..	..	..	..	17,68	1,01,29
2,04	53	56,19	..	8	1,67	..	25	..	60,76	1,29,89
16,35	54	(-) 5,28	82	31,59	..	19,74	7,31	..	71,07	1,30,38
3,40	5	..	..	..	..	..	..	..	3,45	10,29
3,46,06	8,42	32,56	21,82	49,09	47,45	..	2,57,35	..	7,62,75	11,04,01
12	..	..	..	..	..	..	..	..	12	4,78
2,49,87	5,02	(-) 4,74	4,95	1,16	1,23	..	13,13	..	2,70,62	4,54,64
8,86	50	..	..	1,76	20,21	..	14,42	..	45,75	72,95
..	..	..	2,26	46,17	..	..	1,92,52	..	2,40,95	2,41,84
57,24	2,58	28,42	14,61	..	7,64	..	5,54	..	1,16,03	2,32,72
29,97	32	8,88	..	..	18,37	..	31,74	..	89,28	97,08
1	..	..	..	7,92	..	..	7,42	1,42,83	1,58,18	2,69,76
4,15,26	18,13	83,47	23,08	92,47	50,13	19,84	2,73,44	1,42,83	11,18,65	24,80,63

**सारिणी**  
**आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण**

चालू व्यय								
कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	खपत सम्बन्धी चालू व्यय	घटायें वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	माश्रारग ऋण पर व्याज	राज्य सहायता	परिवारों के आया खाते में तथा अन्य संस्थाओं के अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालक के लिए अन्तरण	कुल चालूव्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1—सामान्य सेवायें</b>								
1. 1—सामान्य प्रशासन तथा सामाजिक शांति एवं व्यवस्था	3,01,25	1,91	2,99,34	..	6,89	1,59	12,38	3,20,20
1. 1. 1—सामान्य प्रशासन	34,69	5	34,64	..	..	13	..	34,77
1. 1. 2—करोंकी उगाही का व्यय	32,28	13	32,15	..	..	..	..	32,15
1. 1. 3—न्याय	17,72	4	17,68	..	..	..	..	17,68
1. 1. 4—कारागार ..	9,68	57	9,11	..	1	..	..	9,12
1. 1. 5—पुलिस	1,28,12	1,01	1,27,11	..	..	30	..	1,27,41
1. 1. 6—अन्य सामान्य सेवायें	78,76	11	78,65	..	6,88	82	12,38	98,73
1. 2—सामान्य शोध	..	..	..	..	..	34	..	34
2—सुरक्षा	5,66	..	5,66	..	..	46	16	6,28
3—शिक्षा	75,44	8,20	67,24	..	46	3,59,90	..	4,27,60
3. 1—सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध	9,32	..	9,32	..	..	1	..	9,33
3. 2—स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें	66,12	8,20	57,92	..	46	3,59,89	..	4,18,27
<b>4—स्वास्थ्य</b>								
4. 1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	1,04,03	1,02	1,03,01	..	..	8,96	..	1,11,97
4. 2—अस्पतानों, दवा-खानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	1,02,08	1,02	1,01,06	..	..	8,94	..	1,10,00
<b>5—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवायें</b>								
6—आवास एवं सामुदायिक सुविधायें	46,50	17	46,33	..	2,23	3,31	1	51,88
<b>7—सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें ।</b>								
8—आर्थिक सेवायें	1,27,90	8,30	1,19,60	..	1,43,15	8,18	25	2,71,18
8. 1—सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध	5,07	1	5,06	..	..	..	..	5,06
8. 2—कृषि, वन, सिंचाई मत्स्य एवं शिकार	50,10	5,64	44,46	..	1,28,43	2,45	..	1,75,34
8. 3—खनिज, उद्योग एवं निर्माण ।	12,89	24	12,65	..	14,12	2,48	..	29,25
8. 4—विद्युत्, स, वाष्प एवं पान ।	36	..	36	..	60	..	..	96
8. 5—परिवहन एवं संचार ।	51,46	86	50,60	..	..	2	25	50,87
8. 6—अन्य आर्थिक सेवायें	8,02	1,55	6,47	..	..	3,23	..	9,70
9—अन्य कार्य	34	..	34	1,23,83	6	7,48	..	1,31,71
<b>योग</b>	<b>7,25,83</b>	<b>20,09</b>	<b>7,05,74</b>	<b>1,23,83</b>	<b>1,52,88</b>	<b>4,17,40</b>	<b>14,68</b>	<b>14,14,53</b>

6.2

1981-82 (पुनरीक्षित व्यय)

(लाख रुपयों में)

कुल स्थिर पूजा निर्माण		पूजीगत परिव्यय			ऋण एवं अग्रिम			सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
		स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	पूजीगत अन्तरण		ऋण एवं अग्रिम					
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीनें एवं उपकरण		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को	पूजा शैयरी में निवेश	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10,16	5,07	..	13	88	1	..	15	..	1640	33,660
10,06	5,07	..	13	88	1	..	15	..	16,30	33,616
4,84	64	..	..	..	..	..	..	..	5,48	40,25
28	13	..	..	..	..	..	..	..	41	32,56
9	..	..	..	..	..	..	..	..	9	17,77
1,08	14	..	..	..	..	..	..	..	1,22	10,34
3,10	344	..	..	..	..	..	..	..	6,54	1,33,95
67	72	..	13	88	1	..	15	..	2,56	1,01,29
10	..	..	..	..	..	..	..	..	10	44
1	4	..	..	..	..	..	..	..	5	6,33
4,75	97	..	26	9,11	..	..	72	..	15,81	4,43,41
1	17	..	..	..	..	..	..	..	18	9,51
4,74	80	..	26	9,11	..	..	72	..	15,63	4,33,90
8,05	75	..	..	..	..	..	..	..	8,80	1,20,77
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,97
8,05	75	..	..	..	..	..	..	..	8,80	118,80
8,22	75 (-)	1,48	23	..	1,37	1,06,79	..	..	(-)31,10	53,45
80,32	42	25	1,01	27,42	..	19,18	9,65	..	1,38,25	1,90,13
2,65	1	..	..	1	..	..	..	..	2,67	11,83
6,797	13,22	8,14	17,56	54,06	56,61	..	3,34,86	..	8,52,42	11,23,60
2	2	..	..	..	..	..	..	..	4	5,10
2,57,82	9,21	1,24	3,71	2,41	1,85	..	11,44	..	2,87,68	4,63,02
1,37	55	..	..	4,90	24,46	..	14,95	..	46,23	75,48
1	..	..	3,02	39,30	..	..	2,74,32	..	3,16,65	3,17,61
05,13	3,43	6,90	10,83	29	8,30	..	4,78	..	1,39,66	1,90,53
3,62	1	..	..	7,16	22,00	..	29,37	..	62,16	7186
1,40	..	..	..	..	..	..	1,39	2,11,73	214,52	2,46,23
83,53	21,23	(-)1,39,84	18,96	92,85	1,63,41	19,18	3,46,77	2,11,73	12,17,82	26,32,35

कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	चालू व्यय								
	आर्थिक वर्गीकरण	खपत सम्बन्धी चालू व्यय	घटायें वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर व्याज	राज्य सहायता	परिवारों के आय खाले में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य सं. संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—सामान्य सेवायें ..		4,89,24	2,41	4,86,83	..	14,11	1,91	13,86	5,16,71
1. 1—सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था ..		4,89,20	2,41	4,86,79	..	14,11	1,37	13,86	5,16,13
1. 1. 1—सामान्य प्रशासन ..		1,84,20	5	1,84,15	..	..	13	..	1,84,28
1. 1. 2—करों की उगाही का व्यय ..		34,44	13	34,31	..	..	..	..	34,31
1. 1. 3—न्याय ..		17,99	4	17,95	..	..	..	..	17,95
1. 1. 4—कारागार ..		11,08	77	10,31	..	1	..	..	10,32
1. 1. 5—पुलिस ..		1,49,29	1,31	1,47,98	..	..	34	..	1,48,32
1. 1. 6—अन्य सामान्य सेवायें ..		92,20	11	92,09	..	14,10	90	13,86	1,20,95
1. 2—सामान्य शोध ..		4	..	4	..	..	54	..	58
2—सुरक्षा ..		6,10	..	6,10	..	..	46	16	6,72
3—शिक्षा ..		79,79	8,76	71,03	..	11	3,82,53	..	4,53,67
3. 1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध ..		9,52	..	9,52	..	..	1	..	9,53
3. 2—स्कूलों, विश्वविद्यालयों शोध एवं अन्य शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें ..		70,27	8,76	61,51	..	11	3,82,52	..	4,44,14
4—स्वास्थ्य ..		1,17,03	1,01	1,16,02	..	..	11,96	..	1,27,98
4. 1—सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध ..		1,96	..	1,96	..	..	1	..	1,97
4. 2—अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें ..		1,15,07	1,01	1,14,06	..	..	11,95	..	1,26,01
5—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सेवायें ..		73,59	6	73,53	..	11	29,80	6	1,03,50
6—आवास एवं सामुदायिक सुविधायें ..		51,03	18	50,85	..	1	1,04	32	52,22
7—सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें ..		6,36	45	5,91	..	..	1,74	..	7,65
8—आर्थिक सेवायें—		1,37,30	10,10	1,27,20	8	1,60,00	6,75	25	2,94,24
8. 1—सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध ..		5,09	1	5,08	..	..	..	..	5,0
8. 2—दृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिक्षा ..		60,28	6,97	53,31	8	1,43,37	1,60	..	1,98,3
8. 3—खनिज, उद्योग एवं निर्माण ..		62,62	24	62,38	..	16,63	1,75	..	80,7
8. 4—विद्युत्, गैस, वाष्प एवं पानी ..		68	..	68	..	..	..	..	6
8. 5—परिवहन एवं संचार ..		115	86	(-) 71	..	..	2	25	(-) 44
8. 6—अन्य आर्थिक सेवायें ..		8,48	2,02	6,46	..	..	3,38	..	9,8
9—अन्य कार्य ..		24	..	24	1,44,74	10	637	..	1,51,4
योग ..		9,60,68	22,79	9,37,71	1,44,82	1,74,44	4,42,56	14,65	17,14,

6.3

1982-83 (आय-व्ययक अनुमानित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूँजीगत परिक्रय											
कुल स्थिर पूँजी निर्माण		स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	पूँजीगत अन्तरण		पूँजी शीयरो	ऋण एवं अग्रिम		सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूँजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)	
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीनें एवं उपकरण		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को	में निवेश	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को				
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
14,50	5,04	..	7	88	1	..	..	..	20,50	5,37,21	
14,40	5,04	..	7	88	1	..	..	..	20,40	5,36,53	
6,76	89	..	..	..	..	..	..	..	7,65	1,91,93	
72	14	..	..	..	..	..	..	..	86	35,17	
11	2	..	..	..	..	..	..	..	13	18,08	
89	27	..	..	..	..	..	..	..	1,16	11,48	
3,45	2,92	..	..	..	..	..	..	..	6,37	1,54,69	
2,47	80	..	7	88	1	..	..	..	4,23	1,25,18	
10	..	..	..	..	..	..	..	..	10	68	
..	4	..	..	..	..	..	..	..	4	6,76	
5,59	1,08	..	20	10,68	..	..	71	..	18,26	4,71,93	
1	8	..	..	1	..	..	..	..	10	9,63	
5,58	1,00	..	20	10,67	..	..	71	..	18,16	4,62,30	
13,23	1,13	..	..	..	..	..	..	..	14,36	1,42,34	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,97	
13,23	1,13	..	..	..	..	..	..	..	14,36	1,40,37	
21,98	2,04	(-) 1,14,14	..	..	1,08,58	..	..	..	18,46	1,21,96	
20,25	34	25	1,01	1,57	..	13,89	7,82	..	45,13	97,35	
2,99	2	..	..	13,83	..	..	..	..	16,84	24,49	
4,04,67	15,07	6,87	12,05	40,56	48,27	..	3,10,77	..	8,38,26	11,32,54	
8	5	..	..	..	..	..	..	..	13	521	
2,67,31	10,34	299	1,21	5,04	1,30	..	11,50	..	2,99,69	4,98,05	
97,04	3,98	3,26	1	3,19	27,45	..	8,16	..	1,4309	2,2385	
2	24	..	..	32,33	..	..	2,82,47	..	3,15,06	3,15,74	
24,18	45	..	10,83	..	10,00	..	1,70	..	47,16	46,72	
16,04	1	62	..	..	9,52	..	6,94	..	33,13	42,97	
1,40	..	..	..	8,03	..	..	1,38	2,34,11	2,44,92	3,96,37	
4,84,61	26,76	(-) 1,07,02	13,33	75,55	1,56,86	13,89	3,20,68	2,34,11	12,16,77	29,30,95	

## सारिणी 6.4

## आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण




(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1--चालू व्यय .. .. .	13,61,98	14,14,53	17,14,18
1.1--खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय .. .. .	6,98,11	7,05,74	9,37,71
1.2--साधारण ऋण पर व्याज .. .. .	84,72	1,23,83	1,44,82
1.3--राज्य सहायताये .. .. .	1,62,90	1,52,88	1,74,44
1.4--परिवारों के आय खाते में अन्तरण .. .. .	3,97,31	4,17,40	4,42,56
1.5--स्थानीय निकायों को चालू कार्य चालान के लिये अन्तरण .. .. .	18,94	14,68	14,65
2--पूजीगत व्यय .. .. .	11,18,65	12,17,82	12,16,77
2.1--कुल स्थिर पूजी निर्माण .. .. .	4,33,39	5,04,76	5,09,37
2.1.1--भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य .. .. .	4,15,26	4,83,53	4,84,61
2.1.2--मशीन एवं उपकरण .. .. .	18,13	21,23	24,76
2.2--स्टाकों में शुद्ध वृद्धि .. .. .	83,47	(-) 1,39,84	(-) 1,07,02
2.3--पूजीगत अन्तरण .. .. .	1,15,55	1,11,81	88,88
2.3.1--स्थानीय निकायों को .. .. .	23,08	18,96	13,33
2.3.2--अन्य सेक्टरों को .. .. .	92,47	92,85	75,55
2.4--पूजी शेषों में निवेश .. .. .	50,13	1,63,41	1,56,86
2.5--ऋण एं अग्रिम .. .. .	2,93,28	3,65,95	3,34,57
2.5.1--स्थानीय निकायों को .. .. .	19,84	19,18	13,89
2.5.2--अन्य सेक्टरों को .. .. .	2,73,44	3,46,77	3,20,68
2.6--सार्वजनिक ऋण की आदायगियां .. .. .	1,42,83	2,11,73	2,34,11
कुल योग .. .. .	24,80,63	26,32,35	29,30,95





# राज्य सरकार के आय-व्यय का आर्थिक वर्गीकरण (प्रति शत व्यय)



## सारिणी 6.5

आर्थिक वर्गीकरण—प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

आर्थिक वर्गीकरण	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1—चालू व्यय .. .. .	54.9	53.7	58.5
1.1—खपत सम्बन्धी शुद्ध-व्यय .. .. .	28.1	26.8	32.0
1.2—साधारण ऋण पर ब्याज .. .. .	3.4	4.7	4.9
1.3—राज्य सहायतायें .. .. .	6.6	5.8	6.0
1.4—परिवारों के आय खाते में अन्तरण .. .. .	16.0	15.8	15.1
1.5—स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण .. .. .	0.8	0.6	0.5
2—पूँजीगत व्यय .. .. .	45.1	46.3	41.5
2.1—कुल स्थिर पूँजी निर्माण .. .. .	17.5	19.2	17.3
2.1.1—भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य .. .. .	16.8	18.4	16.5
2.1.2—मशीनें एवं उपकरण .. .. .	0.7	0.8	0.8
2.2—स्टाकों में शुद्ध वृद्धि .. .. .	3.4	(-) 5.3	(-) 3.7
2.3—पूँजीगत अन्तरण .. .. .	4.6	4.2	3.1
2.3.1—स्थानीय निकायों को .. .. .	0.9	0.7	0.5
2.3.2—अन्य सेक्टरों को .. .. .	3.7	3.5	2.6
2.4—पूँजी शेयरों में निवेश .. .. .	2.0	6.2	5.4
2.5—ऋण एवं अग्रिम .. .. .	11.8	13.9	11.4
2.5.1—स्थानीय निकायों को .. .. .	0.8	0.7	0.5
2.5.2—अन्य सेक्टरों को .. .. .	11.0	13.2	10.9
2.6—सार्वजनिक ऋण की अदायगियां .. .. .	5.8	8.1	8.0
कुल योग .. .. .	100.0	100.0	100.0


## सारिणी 6.6

आय-व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण


(लाख रुपयों में)

सद	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1—सामान्य सेवायें .. .. .	3,10,06	3,36,60	5,37,21
1.1—सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था ..	3,09,25	3,36,16	5,36,53
1.1.1—सामान्य प्रशासन .. .. .	41,03	40,25	1,91,93
1.1.2—करों की उगाही का व्यय .. .. .	29,26	32,56	35,17
1.1.3—न्याय .. .. .	14,97	17,77	18,08
1.1.4—कारागार .. .. .	10,09	10,34	11,48
1.1.5—पुलिस .. .. .	1,19,19	1,33,95	1,54,69
1.1.6—अन्य सामान्य सेवायें .. .. .	94,71	1,01,29	1,25,18
1.2—सामान्य शोध .. .. .	81	44	68
2—सुरक्षा .. .. .	7,85	6,33	6,76
3—शिक्षा .. .. .	4,35,21	4,43,41	4,71,93
3.1—सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध .. .. .	10,86	9,51	9,63
3.2—स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधायें ..	4,04,61	4,33,90	4,62,30
4—स्वास्थ्य .. .. .	1,02,92	1,20,77	1,42,34
4.1—सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध .. .. .	1,63	1,97	1,97
4.2—अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	1,01,29	1,18,80	1,40,37
5—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवायें .. .. .	1,29,89	53,45	1,21,96
6—आवास एवं सामुदायिक सुविधायें .. .. .	1,30,38	1,90,13	97,35
7—सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें .. .. .	10,29	11,83	24,49
8—आर्थिक सेवायें .. .. .	11,04,01	11,73,60	11,32,54
8.1—सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध .. .. .	4,78	5,10	5,21
8.2—कृषि वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार .. .. .	4,54,64	4,63,02	4,98,05
8.3—खनिज उद्योग एवं निर्माण .. .. .	72,95	75,48	2,23,85
8.4—विद्युत्, गैस, वाष्प एवं पानी .. .. .	2,41,84	3,17,61	3,15,74
8.5—परिवहन एवं संचार .. .. .	2,32,72	1,90,53	46,72
8.6—अन्य आर्थिक सेवायें .. .. .	97,08	71,86	42,97
9—अन्य कार्य .. .. .	2,69,76	3,46,23	3,96,37
कुल योग .. .. .	24,80,63	26,32,35	29,30,95


# राज्य सरकार के आय-व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण (प्रतिशता व्यय)



1980-81  
(वास्तविक)



1981-82  
(पुनरोक्षित अनुमान)



1982-83  
(आय-व्ययक अनुमान)

## सारिणी 6.7

कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण—प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	वास्तविक 1980-81	पुनरीक्षित अनुमान 1981-82	आय-व्ययक अनुमान 1982-83
1	2	3	4
1—सामान्य सेवायें .. .. .	12.5	12.8	18.3
1.1—सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था .. .	12.5	12.8	18.3
1.1.1 सामान्य प्रशासन .. .. .	1.7	1.5	6.5
1.1.2 करों की उगाही का व्यय .. .. .	1.2	1.2	1.2
1.1.3 न्याय .. .. .	0.6	0.7	0.6
1.1.4 कारागार .. .. .	0.4	0.4	0.4
1.1.5 पुलिस .. .. .	4.8	5.1	5.3
1.1.6 अन्य सामान्य सेवायें .. .. .	3.8	3.9	4.3
1.2—सामान्य शोध .. .. .	0.0	0.0	0.0
2—सुरक्षा .. .. .	0.3	0.2	0.2
3—शिक्षा .. .. .	16.7	16.9	16.1
3.1 सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध .. .. .	0.4	0.4	0.3
3.2 स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधायें .. .	16.3	16.5	15.8
4—स्वास्थ्य .. .. .	4.2	4.6	4.9
4.1 सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध .. .. .	0.1	0.1	0.1
4.2 अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें .. .	4.1	4.5	4.8
5—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सेवायें .. .. .	5.2	2.0	4.2
6—आवास एवं सामुदायिक सुविधायें .. .. .	5.3	7.2	3.3
7—सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें .. .. .	0.4	0.5	0.8
8—आर्थिक सेवायें .. .. .	44.5	42.7	38.7
8.1 सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध .. .. .	0.2	0.2	0.2
8.2 कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार .. .. .	18.3	17.6	17.0
8.3 खनिज, उद्योग एवं निर्माण .. .. .	2.9	2.9	7.6
8.4 विद्युत्, गैस, वाष्प एवं पानी .. .. .	9.8	12.1	10.8
8.5 परिवहन एवं संचार .. .. .	9.4	7.2	1.6
8.6 अन्य आर्थिक सेवायें .. .. .	3.9	2.7	1.5
9—अन्य कार्य .. .. .	10.9	13.1	13.5
कुल योग .. .. .	100.0	100.0	100.0

## सारिणी 6.8

विकासगत तथा अ विकासगत व्यय

व्यय की मद	(व्यय लाख रुपये)			प्रतिशत वितरण		
	वास्तविक	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविक	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
	1980-81	1981-82	1982-83	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6	7
1--विकास गत व्यय	18,88,188	19,38,09	19,85,40	76.1	73.7	67.8
1.1 शिक्षा	4,35,211	4,43,41	4,71,93	17.5	16.9	16.1
1.2 स्वास्थ्य	1,02,922	1,20,77	1,42,34	4.2	4.6	4.9
1.3 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवायें	1,29,899	53,45	1,21,96	5.2	2.0	4.2
1.4 आवास एवं सामुदायिक सेवायें	1,10,644	1,90,13	97,35	4.5	7.2	3.3
1.5 सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	10,29	11,83	24,49	0.4	0.5	0.8
1.6 आर्थिक सेवायें	10,99,23	11,18,50	11,27,33	44.3	42.5	38.5
2--अ विकासगत व्यय	5,92,45	6,94,26	9,45,55	23.9	26.3	32.2
2.1 सामान्य सेवायें	3,10,016	3,36,60	5,37,21	12.5	12.8	18.3
2.2 सुरक्षा	7,85	6,33	6,76	0.3	0.2	0.2
2.3 आर्थिक सेवायें*	4,78	5,10	5,21	0.2	0.2	0.2
2.4 अन्य कार्य**	2,69,76	3,46,23	3,96,37	10.9	13.1	13.5
कुल योग	24,80,63	26,32,35	29,30,95	100.0	100.0	100.0

\*इस शीर्षक के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन एवं विनियम संबंधी व्यय जिनको अ विकासगत व्यय के अन्तर्गत दिखाया गया है, सम्मिलित नहीं है। इन व्ययों को अ विकासगत व्यय के मद 2.3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

\*\*इस मद के अन्तर्गत देवी आपदाओं के लिये तथा शरणार्थियों के लिये सहायता, सार्वजनिक ऋणों पर व्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी, राजकीय कर्मचारियों तथा अन्य का ऋण तथा अग्रिम सम्बन्धी चालू व्यय सम्मिलित हैं।

## अध्याय—7

### कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी

#### 1—सामान्य सेवायें—

सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

##### 1. 1—सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था—

1. 1. 1—सामान्य प्रशासन, विधान मण्डल व निर्वाचन—राज्यपाल, मंत्रि मण्डल एवं उनके कर्मचारीवर्ग सचिवालय और मुख्यालयों के अधिष्ठान, जिला प्रशासन, लोक सेवा आयोग, स्थानीय निधि लेखा परीक्षण, अधिष्ठान तथा अन्य अधिष्ठानों इत्यादि के पारिश्रमिक तथा भवनों एवं कार्यालयों की सुविधाओं पर व्यय सम्मिलित है।

विधान मण्डल—राज्य के विधान परिषद् के सभापति और उप सभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान मण्डल के सदस्यों पर व्यय सम्मिलित है।

निर्वाचन—चुनाव के व्ययों में निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, वार्षिक पुनरीक्षण तथा छपाई, चुनाव कराने इत्यादि के व्यय सम्मिलित हैं।

1. 1. 2—करों की उगाही पर व्यय—इसके अन्तर्गत वृहत् जोत कर, भू-राजस्व, राज्य आबकारी शुल्क, वाहनों पर कर, विक्री-कर, अन्य कर एवं शुल्क, स्टाम्प, निबन्धन फीस की उगाही तथा विभिन्न कर, विभागों के अधिष्ठान तथा भवन सम्बन्धी व्यय सम्मिलित हैं।

भू-राजस्व के अन्तर्गत भू-अभिलेखों, सर्वेक्षण, बन्दोबस्त इत्यादि के व्यय “अन्य सामान्य सेवायें” उप शीर्षक में निहित किये जाने के कारण, इस उपवर्ग में नहीं दिखाये गये हैं।

1. 1. 3—न्याय प्रशासन—न्याय प्रशासन, उच्च न्यायालय, विधि अधिकारी, महा प्रशासक तथा राज्य न्यासी दीवानी तथा सत्र न्यायालय, लघु वाद न्यायालय आदि संबंधी व्ययों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता को इस उपवर्ग में प्रकट किया गया है।

1. 1. 4—कारागार—प्रधान निरीक्षक, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, बाल सुधार विद्यालय, कारागार सम्बन्धी डिपो, केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार, अल्प-वयस्क कारागार, हवालतें, पुलिस अभिरक्षण तथा कारागारों के भवन निर्माण सम्बन्धी व्ययों को इस उपवर्ग में अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

1. 1. 5—पुलिस—इसके अन्तर्गत पुलिस के कार्य कलापों, उदाहरणार्थ पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस विकास योजनायें, जिला कार्यकारी दल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, ग्राम पुलिस, विशेष पुलिस, विकास योजनायें, राज्य अग्निशमन सेवायें तथा इमारतों के निर्माण संबंधी व्यय सम्मिलित हैं।

1. 1. 6—अन्य सामान्य सेवायें—इस उप शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सर्वेक्षण, बन्दोबस्त एवं भू-अभिलेखों, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, लाटरी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, सूचना विभाग, नियोजन विभाग, भूमि बन्धक बैंक, राष्ट्रीय बचत योजना, स्वर्ण नियंत्रण, राज्य आस्थान विभाग, पंचायत और स्थानीय प्रशासन के अधिष्ठान तथा भवन संबंधी व्यय और प्रकीर्ण अंशदान सम्मिलित हैं। अधि-वर्ष भत्ते तथा पेंशन को सभी कार्य वर्गों में वेतन पर व्यय के अनुपात में बांट दिया गया है।

1. 2—सामान्य शोध—इसके अन्तर्गत व्यापारिक एवं सामान्य शोध प्रदान करने वाली संस्थाओं एवं संगठन तथा तत्सम्बन्धी वैज्ञानिक शोध एवं ज्ञान के विकास सम्बन्धी व्यय सम्मिलित हैं।

2—सुरक्षा—इसके अन्तर्गत सैनिक स्कूल, सिविल डिफेंस सम्बन्धी व्यय एवं इनसे सम्बन्धित संयंत्रों के क्रय पर व्यय सम्मिलित हैं।

##### 3—शिक्षा—

3. 1—सामान्य प्रशासन, विनियमन एवं शोध—इसके अन्तर्गत शिक्षा विभाग का प्रशासन, शिक्षा परिषद् पाठ्य-पुस्तक कमीशन तथा सामान्य विनियमन एवं कार्य-प्रणाली पर व्यय सम्मिलित हैं।

3. 2—स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधायें—इसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक उच्चतर शिक्षा के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कृषि एवं मेडिकल कालेज व उनके अस्पताल, पशु-चिकित्सा शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों की पढ़ाई की सुविधा एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं, बधिर, मूक एवं अन्धों के लिये विद्यालयों के प्राविधान, छात्र-वृत्ति, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक सहायता एवं शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्य हेतु ऋण एवं अनुदान परिव्यय सम्मिलित हैं।

##### 4—स्वास्थ्य—

4. 1—सामान्य प्रशासन, विनियमन एवं शोध—इसके अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशन, अस्पताल, डाक्टर-रुसों आदि के विनियमन तथा कार्य प्रणाली भेषज नियन्त्रण व कर्मशाला, जन्म मृत्यु की रजिस्ट्री, औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन तथा उससे सम्बन्धित व्यय एवं शोध कार्य के व्यय सम्मिलित हैं।



4. 2—अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें—इस उपशीर्षक में उन सेवाओं का समावेश किया गया है जिनका संबंध मानव रोगों के निवारण एवं रोकथाम से है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिष्ठानों, चिकित्सालयों एवं औषधालयों, मस्तिष्क रोग चिकित्सालयों, महामारी की रोकथाम, टीका लगाना, औषधियों और उपकरणों तथा इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर व्यय सम्मिलित किए गए हैं।

5—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवायें—इन मदों के अन्तर्गत समाज एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद, स्वर्ण-कारों पर व्यय, नशाबन्दी, राज्य बीमा, समाज सुरक्षा योजनायें, महिला एवं बाल मंगल योजनायें, विधवा आश्रम, अनाथालय, निर्धन विद्यार्थियों, बाल कल्याण रुजालयों तथा अन्वेषण गृहों के लिये अभ्यागत केन्द्र, अन्धों की परिवीक्षा सेवायें, वृद्धावस्था पेंशन, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी व्यय तथा अनुदान सहकारी समितियों के सहायताार्थ ऋण इस उपवर्ग में सम्मिलित किये गये हैं।

6—आवास एवं सामुदायिक सेवायें—इस मद के अन्तर्गत आवास सम्बन्धी प्रशासन, विनियमन और अनुपोषण सुविधायें तथा तत्सम्बन्धी शोध सहायता एवं व्यय सम्मिलित हैं। इसके अन्तर्गत नगर नियोजन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक विकास परियोजनायें तथा उनसे सम्बन्धित कार्य-कलापों की अभिवृद्धि पर व्यय सम्मिलित है। सभी विभागों के आवासीय भवनों पर व्यय इस मद में सम्मिलित है।

आवास निर्माण योजनायें, मलिन वास्तियों की सफाई कार्य, सड़कों की सफाई तथा अन्य स्वच्छता सेवायें तथा कूड़े एवं मल की निकासी, स्वच्छ एवं धुआं रहित वातावरण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित किया गया है।

7—सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें—इसके अन्तर्गत आमोद-प्रमोद सम्बन्धी चलचित्रों का उत्पादन, उच्चानों, क्रीड़ा स्थलों, व्यायाम शालाओं, खेलकूद, पुस्तकालय, अजायबघर, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, एन 0 सी 0 सी 0 प्रशिक्षण, छात्रावास एवं अन्य आवास स्थान जिनका कार्य चालन वाणिज्यिक तौर पर नहीं किया जाता है तथा अलाभप्रद संस्थायें जो इस प्रकार के कार्य कलापों में संलग्न हैं, को सहायताार्थ एवं उन पर व्यय सम्मिलित है। धार्मिक सेवायें जैसे मन्दिरों तथा अन्य धार्मिक संस्थानों पर व्यय एवं सामान्य सहायताार्थ संगठनों को अनुदान सम्बन्धी व्यय भी इस वर्ग में सम्मिलित है।

#### 8—आर्थिक सेवायें—

8. 1—सामान्य प्रशासन, विनियमन एवं शोध—इस उपशीर्षक में आर्थिक विभागों का सामान्य प्रशासन, विनियमन तथा वाणिज्य पंजीकरण, तकनीकी अभियंत्रण, सेवायोजन, मानव शक्ति निदेशालय, श्रम विभाग, माप एवं बांट विनियमन संस्थायें एवं उन समस्त उद्योगों के विनियमन, वृद्धि एवं शोध पर व्यय जो किसी निदिष्ट वर्ग में नहीं है, सम्मिलित हैं।

8. 2—कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार—इस उपशीर्षक में इन विभागों तथा चक्रवर्ती का सामान्य प्रशासन विनियमन शोध आदि पर व्यय सम्मिलित है। चक्रवर्ती, कृषि संबंधी प्रदर्शन, प्रचार परिव्यय, कृषि भवनों के निर्माण के लिये ऋण एवं अग्रिम पशु एवं मत्स्य पालन के विकास तथा संचय संबंधी व्यय, पशु चिकित्सा संबंधी व्यय, अभिजनन क्रियाएं, रोगाणु व्यय तथा तत्सम्बन्धी व्यय, ऋण, अग्रिम एवं अनुदान, दूध सम्पत्ति योजना के लिये पूंजीगत व्यय, भूमि संरक्षण एवं प्रयोग, कृषि, वन, पशुपालन, मत्स्य एवं वान्यक जीवन के संरक्षण एवं निवेश, बंजर भूमि के कृषिकरण, पौधरोपण, वनों का प्रयोग, आग संरक्षण तथा कृषक अनुदान सम्मिलित हैं।

8. 3—खनिज, उद्योग एवं निर्माण-कार्य—इसके अन्तर्गत खनिकर्म तथा उद्योगों के निदेशालय अधीक्षण, शोध विकास, कुटीर उद्योग, खादी एवं हथकरघा उद्योग के व्यय तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनुदान एवं औद्योगिक विकास के लिये पूंजीगत परिव्यय आदि निहित हैं।

8. 4—विद्युत्, शक्ति, गैस, वाष्प एवं जल—इसके अन्तर्गत विद्युत्, शक्ति, गैस एवं वाष्प का उत्पादन, संचारण, वितरण आदि के व्यय तथा राजकीय विद्युत् परिषद् को ऋण एवं अग्रिम तथा जल एकत्रीकरण, शुद्धीकरण, संचारण एवं वितरण संबंधी व्यय सम्मिलित हैं।

8. 5—परिवहन तथा संचार—इसके अन्तर्गत, सड़कों का सुधार एवं अनुरक्षण, सड़कों के लिये उपयोगितायंत्र तथा उपकरण पूंजी, अन्तरण, जल मार्गों सम्बन्धी व्यय, राष्ट्रीय मार्गों, सड़कों तथा जल मार्गों एवं उनसे अधिष्ठानों एवं प्रशासन पर व्यय सम्मिलित है, साथ ही जल, थल एवं वायु द्वारा परिवहन एवं संचार संबंधी व्यय, सड़क परिवहन योजनाओं के चालू व्यय, राज्य कर्मचारी को वाहन क्रय हेतु ऋण आदि इसमें सम्मिलित हैं।

8. 6—अन्य आर्थिक सेवायें—इसके अन्तर्गत बाह्य नियंत्रण बहुधंधी जल योजनायें, अग्रामी योजनायें, भंडारण, निबन्धक सहकारी समितियों के व्यय का समावेश किया गया है।

9—अन्य कार्य—वे सेवायें जिनका वर्गीकरण कार्यात्मक वर्गीकरण के अन्य वर्गों में नहीं किया जा सका है जैसे सूखा और बाढ़ सहायता, दवा आपदाओं के लिये सहायता, शरणार्थी सहायता आदि पर व्यय यहां दिखाये गये हैं। सामान्य ऋणों पर व्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी, अनिदिष्ट अनुदान, अन्य घरेलू सेवाओं का अन्तरण तथा प्रकीर्ण ऋण भी इसके उदाहरण हैं।

पी 0 एस 0 यू 0 पी 0—ए 0 पी 0 17 सा 0 अथ एवं संख्या—27-8-82--(1660)-1983-1,400 (मैग 0)।

NIIPA DC

Sub. National Systems Unit,  
National Institute of Educational  
Planning and Administration  
17-B, Shri...  
D-771



D00991